



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
(आर्थिक क्षेत्र)



राजस्थान सरकार
वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या 3

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
(आर्थिक क्षेत्र)

राजस्थान सरकार
वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या 3

विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन	-	(iii)
अध्याय I		
प्रस्तावना		
इस प्रतिवेदन के बारे में	1.1	1
लेखापरीक्षा का खाका	1.2	2
लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति	1.3	2
कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान का संगठनात्मक ढांचा	1.4	3
लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन	1.5	3
लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष	1.6	4
निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों की प्रतिक्रिया	1.7	8
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.8	9
लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर धीमी प्रतिक्रिया	1.9	9
अध्याय II		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
कृषि विभाग		
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर की निष्पादन लेखापरीक्षा	2.1	11

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
अध्याय III		
अनुपालना लेखापरीक्षा		
वन विभाग रणथम्भौर एवं सरिस्का बाघ रिजर्व्स् के संवेदनशील बाघ आवास स्थलों में स्थित ग्रामों का पुनःस्थापन	3.1	37
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान एवं समाज प्रभाग द्वारा की गयी प्रमुख गतिविधियाँ	3.2	48
सार्वजनिक निर्माण विभाग राज्य सड़क निधि का उपयोग	3.3	54
इन्द्रा गांधी नहर विभाग लिफ्ट सिंचाई योजनाओं में फव्वारा सिंचाई प्रणाली	3.4	59
सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़क निर्माण पर निष्फल व्यय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कोषों का अनियमित उपयोग	3.5 3.6	66 67
वन विभाग कोषों का उपयोग नहीं करना	3.7	69

	परिशिष्ट	पृष्ठ
परिशिष्ट 3.1	प्राप्त नहीं हुए संग्रहित उपकर का विवरण	73
परिशिष्ट 3.2	मूल कार्य की बचत को अन्य कार्यों में व्यय करने को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	74

प्राक्कथन

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में आर्थिक सेवाओं से संबंधित राजस्थान सरकार के विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 2013-14 के दौरान नमूना जाँच में ध्यान में आए तथा वे भी, जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे, परन्तु पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सकें। वर्ष 2013-14 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामले, जहाँ कहीं आवश्यक था, भी शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

अध्याय I

प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन, चयनित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं आर्थिक क्षेत्र के विभागों और स्वायत्तशासी निकायों की अनुपालना लेखापरीक्षा में उजागर हुए मामलों से सम्बन्धित है।

अनुपालना लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों के व्ययों से सम्बन्धित लेनदेनों की जाँच से संदर्भित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों की अनुपालना की जा रही है। दूसरी ओर, निष्पादन लेखापरीक्षा, अनुपालना लेखापरीक्षा करने के अलावा यह भी जाँच करती है कि क्या कार्यक्रम या गतिविधि के उद्देश्यों को मितव्ययतापूर्वक, कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी रूप से प्राप्त किया गया है।

प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्व परिणामों को राज्य विधान सभा के समक्ष लाना होता है। लेखापरीक्षा मानकों के लिए यह आवश्यक है कि रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण स्तर, लेनदेनों की प्रकृति, मात्रा एवं महत्व के अनुसार होना चाहिए। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों द्वारा कार्यपालक को सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु योग्य बनाने एवं साथ ही नीतियां एवं निर्देश बनाने, जो संगठन के वित्तीय प्रबंधन में सुधार हेतु आवश्यक हैं एवं जो अच्छे शासन में भागीदारी करते हैं, की प्रत्याशा की जाती है।

यह अध्याय, लेखापरीक्षा आयोजना एवं आकार की व्याख्या के अतिरिक्त, चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण कमियां, लेनदेनों की लेखापरीक्षा के दौरान लिए गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों एवं विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही के संकलन को प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन के अध्याय II में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर, कृषि विभाग के कार्यक्रमों/गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा में उजागर निष्कर्ष शामिल है। अध्याय III में सरकारी विभागों की अनुपालना लेखापरीक्षा में उजागर हुए आक्षेप शामिल है।

1.2 लेखापरीक्षा का खाका

अतिरिक्त मुख्य शासन सचिवों/प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों, जो कि आयुक्तों/उपशासन सचिवों एवं अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सहयोग किये जाते हैं, द्वारा नियंत्रित 19 आर्थिक क्षेत्र के विभागों एवं उनके स्वायत्तशासी निकायों की लेखापरीक्षा, महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर द्वारा की जाती है।

राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान किये गये व्यय की तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिका 1 में दी गयी है।

तालिका 1: व्यय की तुलनात्मक स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व व्यय			
सामान्य सेवायें	18,709	20,496	23,339
समाजिक सेवायें	21,928	25,293	31,486
आर्थिक सेवायें	12,744	17,408	20,436
सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	273	265	249
योग	53,654	63,462	75,510
पूँजीगत एवं अन्य व्यय			
पूँजीगत परिव्यय	7,119	10,684	13,665
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	1,109	2,412	811
लोक ऋण की अदायगी	3,490	4,707	4,116
आकस्मिकता निधि	-	-	-
लोक लेखा संवितरण	1,22,320	1,50,175	1,05,605
योग	1,34,038	1,67,978	1,24,197
कुल योग	1,87,692	2,31,440	1,99,707

स्रोत: संबंधित वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1.3 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से ली गयी है। महालेखाकार (आर्थिक एवं

राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर द्वारा राजस्थान सरकार के आर्थिक क्षेत्र के विभागों, स्वायत्तशाश्वी निकायों, प्राधिकरण एवं राज्य निगमों के व्ययों की लेखापरीक्षा सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवाओं की शर्तें) अधिनियम की धारा 13¹, 14², 15³, 17⁴, 19⁵ और 20⁶ के अन्तर्गत की जाती है। निष्पादन एवं अनुपालना लेखापरीक्षा के लिये सिद्धान्त एवं विधियाँ, सीएजी द्वारा जारी नियम पुस्तिकाओं में निर्दिष्ट की गई हैं।

1.4 कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान का संगठनात्मक ढांचा



सीएजी के निर्देशों के अन्तर्गत कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्तशाश्वी निकायों को शामिल करते हुये राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र के विभागों की लेखापरीक्षा तीन समूहों द्वारा संचालित करता है।

1.5 लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया की शुरुआत सरकार के विभिन्न विभागों/संगठनों/स्वायत्तशाश्वी निकायों एवं योजनाओं/परियोजनाओं इत्यादि के जोखिम प्रदर्शन के आंकलन से होती है। जोखिम आंकलन, व्यय, गतिविधियों की आलोच्यता, वित्तीय शक्तियों के सौंपने

- 1 (i) राज्य की समेकित निधि से सभी व्ययों (ii) आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखाओं से संबन्धित राज्य के सभी लेनदेनों एवं (iii) सभी व्यापार, निर्माण, लाभ एवं हानि खातों, तुलन-पत्रों एवं अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा।
- 2 (i) राज्य की समेकित निधि में से अनुदान या ऋणों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकाय/प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों एवं व्ययों तथा (ii) किसी निकाय या प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों एवं व्ययों, जहां ऐसे निकाय या प्राधिकरण को राज्य की समेकित निधि से ऋण एवं अनुदान एक वित्तीय वर्ष में ₹ एक करोड़ से कम नहीं हो, की लेखापरीक्षा।
- 3 भारत या राज्य की समेकित निधि में से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किसी प्राधिकरण या निकाय को दिये गये ऋण या अनुदान की लेखापरीक्षा, जिसके द्वारा कार्यविधि की संवीक्षा हेतु स्वीकृति देने वाला प्राधिकरण स्वयं को संतुष्ट करता है कि उन शर्तों की पूर्ति कर ली गयी है जिनके अंतर्गत ऐसे अनुदान या ऋण दिये गये थे।
- 4 भण्डार एवं स्टॉक के लेखाओं की लेखापरीक्षा।
- 5 राज्यपाल के अनुरोध पर राज्य विधानसभा के द्वारा बनाये गये नियम के अधीन स्थापित निगमों के लेखों की लेखापरीक्षा।
- 6 राज्यपाल के अनुरोध पर किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा, उन शर्तों एवं निबंधनों पर, जिन पर सीएजी एवं राज्य सरकार सहमत हो।

का स्तर, समग्र आंतरिक नियन्त्रणों का आंकलन एवं भागीदारों की चिंताओं पर आधारित है। इस प्रक्रिया में गत लेखापरीक्षा निष्कर्ष भी ध्यान में रखे जाते हैं।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरान्त, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का समावेश करते हुए इकाई के प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं। इकाइयों से लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर उत्तर प्रेषित करने हेतु निवेदन किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होता है, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटारा कर लिया जाता है या अनुपालना के लिए अग्रेतर कार्यवाही की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उजागर किये गये मुख्य लेखापरीक्षा आक्षेपों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए तैयार किया जाता है।

1.6 लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

मिछले कुछ वर्षों से लेखापरीक्षा ने निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के क्रियान्वयन में कई महत्वपूर्ण कमियों एवं साथ ही आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता, जो कि कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन एवं विभागों के कार्य को प्रभावित करती है, को प्रतिवेदित किया है। इसी प्रकार, सरकारी विभागों/संगठनों की अनुपालना लेखापरीक्षा के दौरान उजागर हुई कमियों को भी प्रतिवेदित किया जाता है।

1.6.1 कार्यक्रमों/गतिविधियों/विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा

इस प्रतिवेदन के अध्याय II में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर की निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल है। निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण बिन्दुओं की चर्चा नीचे की गयी है:

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर की निष्पादन लेखापरीक्षा

राजस्थान सरकार ने महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर स्थापित किया (नवम्बर 1999)। विश्वविद्यालय के तीन प्रमुख कार्य हैं यथा शिक्षण, अनुसंधान और प्रसार शिक्षा। अनुसंधान गतिविधियां राजस्थान सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं अन्य एजेन्सियों से वित्त पोषित हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केन्द्रों को 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान करता है।

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर ने भावी रणनीति की रूपरेखा आरेखित करते हुए विजन डॉक्यूमेन्ट तैयार किया। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय की गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए पंचवर्षीय योजना भी तैयार की गयी। विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए वार्षिक योजनाएँ भी तैयार की गयी थीं। तथापि, मार्गदर्शन हेतु अनुशंसाओं के साथ-साथ

विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के कुछ मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

- जब वार्षिक योजनाएँ तैयार की गई तब प्राथमिकताओं, समयसीमा और परिणामों के आंकलन के सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश नहीं थे। यह भी पाया गया कि अनुसंधान एवं प्रसार शिक्षा निदेशालयों द्वारा तैयार की गई वार्षिक योजनाओं के अनुमोदन में भी विलम्ब हुआ था।

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायें कि वार्षिक योजनाएँ समय पर अनुमोदित हो ताकि लक्ष्य एवं अन्य परिणामों के आंकलन से कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं अन्य क्षेत्रीय इकाइयों को समय पर अवगत कराया जा सके तथा विभिन्न गतिविधियों की प्रगति का सुगमतापूर्वक अनुश्रवण किया जाये।

- अनेक मामलों में, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन पुरानी किस्मों के बीजों का उपयोग करते हुए पानी एवं मिट्टी के समुचित विश्लेषण के बिना निष्पादित किये गये। अनेक कार्यक्रमों के तहत् अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों की कमी थी।

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायें कि कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा पानी, मिट्टी एवं अन्य आवश्यक विश्लेषण के बाद फसलों की नवीनतम किस्मों में अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन सम्पादित किये जायें। दलहनों, तिलहनों, खाद्यानों आदि में कम हुए अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों का भी विश्लेषण किया जायें तथा सुधारात्मक उपाय करें ताकि विस्तार गतिविधियों का लाभ अधिकतम किसानों को मिल सके।

- कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा फसल उत्पादन, पशु संवर्धन एवं बागवानी में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। तथापि, विभिन्न ऑन-केम्पस, ऑफ-केम्पस, व्यवसायिक एवं राजस्थान कौशल एवं आजिविका विकास निगम के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कम किया गया।

विश्वविद्यालय, अधिकतम कौशल विकास के लिए प्रशिक्षणार्थियों की सहभागिता में सुधार हेतु उचित उपचारात्मक उपायों को प्रेरित करें।

- बांसवाड़ा में कपास की उत्पादकता राज्य की उत्पादकता से कम थी, यद्यपि अखिल भारतीय समन्वित कपास उन्नत परियोजना वर्ष 1999 से संचालित थी। इसी प्रकार, ज्वार और मूँगफली पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के सम्बन्ध में राजस्थान कृषि महाविद्यालय द्वारा संभावित औसत उत्पादन से राजस्थान कृषि महाविद्यालय फार्म पर बीजों की उत्पादकता बहुत कम थी। विभिन्न फसलों में प्रजनक बीज उत्पादन में भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध कमी थी।

यह अनुशंसा की जाती है कि विभिन्न कार्यक्रमों/परियोजनाओं की प्रगति एवं प्रभावशीलता के मूल्यांकन हेतु अनुसंधान निदेशक द्वारा कठोर तन्त्र विकसित किया जायें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा उत्पादन के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये नाभकीय एवं प्रजनक बीजों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जायें।

(अनुच्छेद 2.1)

1.6.2 अनुपालना लेखापरीक्षा में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेप

रणथम्भौर एवं सरिस्का बाघ रिजर्व्स के संवेदनशील बाघ आवास स्थलों में स्थित ग्रामों का पुनःस्थापन

केन्द्र प्रायोजित योजना ‘बाघ परियोजना’ के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के सम्बन्ध में, बाघ आवास स्थलों में रहने वाले लोगों को विस्थापन पैकेज के तहत् रणथम्भौर और सरिस्का, दो बाघ रिजर्व समाविष्ट किये गये थे। पैकेज में वित्तीय सहायता के साथ-साथ बाघ रिजर्व्स से ग्रामों का विस्थापन और पुनर्वास सम्मिलित था। विस्थापन स्वैच्छिक था। 20 ग्रामों की अनुमोदित विस्थापन योजना के विरुद्ध, केवल छः ग्रामों का पूर्णतया विस्थापन किया गया था और शेष 14 ग्राम विस्थापन की प्रक्रिया में थे। यद्यपि जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति ने निर्धारित किया था कि नकद पैकेज का चयन करने वाले परिवारों को प्रथम किश्त प्राप्त करने की तिथि से एक से दो महिनों के भीतर अपने परिसर खाली करने चाहिए लेकिन 115 परिवार, जिन्होंने भुगतान प्राप्त कर लिया था, अभी तक बाघ रिजर्व में निवास कर रहे थे। योजना के तहत् पात्रता के लिए परिवार के वयस्क पुत्र की पात्रता आयु के निर्धारण के लिए व्याख्या में मतभेद होने के कारण विस्थापन पर विपरीत प्रभाव पड़ा। यह भी देखा गया कि विस्थापित परिवारों को निर्धारित से कम कृषि भूमि उपलब्ध करायी गयी जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थी। सरिस्का रिजर्व में विस्थापन पैकेज हेतु पात्र परिवारों की पहचान के लिए आधार रेखा सर्वे तिथि की जगह सीमा रेखा तिथि स्वीकार करने का लिया गया निर्णय राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनःस्थापन नीति के प्रावधानों के विपरीत था।

यह सिफारिश की जाती है कि विस्थापन प्रक्रिया में प्रगति लाने हेतु निगरानी और सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों पर अधिक बल देने की आवश्यकता है। पैकेज के लिए पात्रता हेतु परिवार की पहचान की तिथि तथा वयस्क पुत्र की पात्रता आयु के निर्धारण में एकरूपता अपनायी जानी चाहिए ताकि पात्र परिवारों/व्यक्तियों के बीच में असन्तोष पैदा न हो।

(अनुच्छेद 3.1)

विज्ञान एवं समाज प्रभाग द्वारा की गयी प्रमुख गतिविधियाँ

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत विज्ञान एवं समाज प्रभाग, विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है तथा संसाधनों के अधिकतम उपयोग के माध्यम से राज्य के समग्र विकास के लिये प्रौद्योगिकी आधारित अनुप्रयोग प्रदान करता है। यद्यपि, पांच साल की योजना में गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की गयी थी, लेकिन योजना के कार्यान्वयन हेतु कोई रोडमैप या रणनीति तैयार नहीं की गयी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किये गये पाइलेट/विशिष्ट परियोजना पर ₹ 11.27 करोड़ का व्यय किया था जिसके अन्तर्गत बायो-गैस संवर्धन संयंत्र एवं रिवर्स ऑस्मोसिस संयंत्र की स्थापना सम्प्लित थी। परियोजना के क्रियान्वयन में कमियां रही जैसे निष्पादन की धीमी गति एवं निधियों का अनुपयोग। इसके अलावा, विलवणीकरण संयंत्रों से बाहर निकले रसायन युक्त अनुपयुक्त पानी को शोधन प्रक्रिया के माध्यम से निकालने के बजाय सीधे ही परित्यक्त कुओं में डाला जा रहा था जिससे भू-जल पर हानिकारक प्रभाव हो सकता है।

(अनुच्छेद 3.2)

राज्य सड़क निधि की उपयोगिता

राज्य सड़कों के विकास एवं राज्य सड़क विकास की परियोजनाओं के सम्बन्ध में निधियों के वितरण हेतु राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत राज्य सड़क विकास निधि का गठन किया गया (सितम्बर 2004)। राज्य सड़क विकास निधि प्रबन्धन बोर्ड जनवरी 2009 से अभी तक कार्यशील नहीं था। राजस्थान सड़क आधारभूत विकास कम्पनी लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड को बोर्ड की सिफारिश के बिना राशि जारी हो रही थी। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा राज्य सड़क निधि में राशि ₹ 32.76 करोड़ कम जमा कराये थे। रेलवे द्वारा रोड ओवर ब्रिज की हिस्सा राशि का पुनर्भरण नहीं किया गया एवं राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा पूर्ण कर दिये कार्यों की अवशेष राशि वापिस नहीं की थी। बोर्ड के कार्यशील रहने के अभाव में राजस्थान सड़क आधारभूत विकास कम्पनी लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा किये गये कार्यों का अनुश्रवण नहीं किया गया तथा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या क्रियान्वयन एजेन्सियों द्वारा किये गये कार्यों को निश्चित समय में एवं निर्धारित गुणवत्ता से पूर्ण किया गया था।

(अनुच्छेद 3.3)

लिफ्ट सिंचाई योजनाओं में फव्वारा सिंचाई प्रणाली

पानी के समुचित उपयोग करने की विधियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को समझते हुए राज्य सरकार ने निश्चित किया (फरवरी 2007) कि किसानों की

आर्थिक स्थिति सुधारने एवं क्षेत्र के तेजी से विकास के लिए इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना बोर्ड को इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना की लिफ्ट सिंचाई योजनाओं में फव्वारा सिंचाई प्रणाली को अपनाने के प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। दो लिफ्ट सिंचाई योजनाओं में फव्वारा सिंचाई प्रणाली का कार्य पूर्ण हो चुका था परन्तु चार अन्य लिफ्ट योजनाओं में राशि ₹ 34.67 करोड़ का व्यय हो जाने के बावजूद कार्य अपूर्ण रहने से सिंचाई सुविधाएँ प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। मूल संवेदक, जिसने कार्य अपूर्ण छोड़ दिया था, से अतिरिक्त दायित्व की राशि ₹ 2.63 करोड़ की भी बसूली नहीं की गई।

(अनुच्छेद 3.4)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण के कार्य पर ₹ 2.91 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 3.5)

लेखापरीक्षा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कोष से ₹ 6.73 करोड़ का अतिरिक्त कार्यों पर अनियमित उपयोग ध्यान में आया।

(अनुच्छेद 3.6)

मिटिगेटिव मेजर्स के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों की कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार नहीं करने के कारण ₹ 24.67 करोड़ के कोषों का अनुपयोगी रहना।

(अनुच्छेद 3.7)

1.7 निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों की प्रतिक्रिया

प्रारूप अनुच्छेदों को संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देने हेतु उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अग्रेषित किया जाता है। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है कि ऐसे अनुच्छेदों को सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने की सम्भावना के मध्यनजर, जो कि राजस्थान विधान सभा में उपस्थापित किया जाना है, यह बांछनीय होगा कि मामले पर उनकी टिप्पणी शामिल कर ली जावें। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि वे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित निष्पादन लेखापरीक्षाओं/विषयक लेखापरीक्षाओं/प्रारूप अनुच्छेदों पर चर्चा करने के लिए महालेखाकार के साथ बैठक आयोजित करें। तदनुसार, इस प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित निष्पादन लेखापरीक्षा/विषयक लेखापरीक्षाओं/प्रारूप अनुच्छेदों को प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को भेजे थे।

प्रारूप अनुच्छेदों एवं निष्पादन लेखापरीक्षा पर राज्य सरकार द्वारा प्रेषित सभी उत्तरों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिया गया है। एक प्रारूप अनुच्छेद के प्रकरण में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

1.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य सरकार के वित्त विभाग ने निश्चय किया (दिसम्बर 1996) कि सभी अनुच्छेदों/समीक्षाओं, जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये गये हैं, पर एकशन टेकन नोट्स, प्रतिवेदन के विधान सभा में प्रस्तुत होने के तीन माह के अन्दर लेखापरीक्षा द्वारा संबीक्षा कराकर जन लेखा समिति को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल किये गये अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर बकाया एकशन टेकन नोट्स की समीक्षा में पाया गया कि सम्बन्धित विभागों से कोई एकशन टेकन नोट्स बकाया नहीं थे (फरवरी 2015)।

1.9 लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर धीमी प्रतिक्रिया

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 327(1) के अनुसार, विभिन्न लेखा अभिलेखों की प्रतिधारण अवधि अंकेक्षण के बाद एक से तीन वर्षों के मध्य है। निरीक्षण प्रतिवेदनों के आक्षेपों की अनुपालना, अभिलेखों की निर्धारित प्रतिधारण अवधि में नहीं करने से भविष्य में उनके निपटारे की संभावना अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण क्षीण हो जाती है।

2013-14 तक की अवधि में जारी एवं निस्तारित तथा 31 मार्च 2014 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं अनुच्छेदों की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गई है:

तालिका 2: 31 मार्च 2014 को बकाया अनुच्छेदों को स्थिति

वर्ष	प्रारंभिक शेष		जोड़े गये		निस्तारित		बकाया	
	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद						
2007-08 तक	1197	3005	-	-	21	44	253	683
2008-09	278	919	-	-	3	16	275	903
2009-10	330	1228	-	-	8	40	322	1188
2010-11	342	1539	-	-	6	90	336	1449
2011-12	363	1875	-	-	4	83	359	1792
2012-13	238	1404	-	-	2	81	236	1323
2013-14 (सितम्बर 2013 तक)	82	584	97	750	3	45	176	1289
योग	2830	10554	97	750	47	399	2880	10905

यह स्थिति दर्शाती है कि 1982-83 से 2013-14 (सितम्बर 2013 तक) जारी 2880 निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल 10905 अनुच्छेद निस्तारण के लिए बकाया थे जो अनुच्छेदों के विरुद्ध सरकारी विभागों की धीमी प्रतिक्रिया का सूचक है। वन विभाग की विभिन्न इकाइयों को जारी 358 निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में पाया गया कि 31 मार्च 2014 को 1262 अनुच्छेद बकाया थे।

लेखापरीक्षा आक्षेपों के उत्तर में वन विभाग ने बताया (सितम्बर 2014) कि लेखापरीक्षा आक्षेपों के उत्तर देने हेतु अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित कर दिया गया है। बकाया अनुच्छेदों के निस्तारण के लिए एक अतिरिक्त प्रमुख मुख्य वन संरक्षक को नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है।

बकाया अनुच्छेदों के शीघ्र निपटारे के लिए राज्य सरकार ने सभी विभागीय अधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना एक माह में तथा उस पर लेखापरीक्षा की आगे की टिप्पणियों के उत्तर एक पछवाड़े में भेजने के अनुदेश जारी किये थे (अगस्त 1969)। इन अनुदेशों की समय-समय पर पुनरावृत्ति की गई। मार्च 2002 में जारी किये गये अनुदेशों में लेखापरीक्षा से सम्बन्धित समस्त मामलों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में विभागीय लेखापरीक्षा समिति एवं नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करना अभिप्रेत था। नवीनतम अनुदेश जनवरी 2010 में जारी किये गये थे।

वित्त विभाग ने प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा समिति की चार बैठक आयोजित करने के आदेश जारी किये (नवम्बर 2004)। 2013-14 के दौरान सात विभागों द्वारा लेखापरीक्षा समिति की केवल 10 बैठकें ही आयोजित की गई। आगे, 2013-14 के दौरान वन विभाग द्वारा केवल दो बैठकें ही आयोजित की गई थीं।

लेखापरीक्षा, सुशासन के लिए प्रबंधन की सहायक है। सरकार को मामले में ध्यान देकर सुनिश्चित करना चाहिए कि दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है एवं हानियों/बकाया, अग्रिमों/अधिक भुगतान की वसूलियों को समयबद्ध तरीके से करने हेतु नियंत्रण कार्यविधियां स्थापित कर दी गई हैं।

अध्याय II

निष्पादन लेखापरीक्षा

यह अध्याय महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रस्तुत करता है।

कृषि विभाग

2.1 महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर की निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

राजस्थान सरकार ने महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर नवम्बर 1999 में स्थापित किया। विश्वविद्यालय के तीन प्रमुख कार्य हैं यथा शिक्षण, अनुसंधान एवं प्रसार शिक्षा। अनुसंधान गतिविधियां राजस्थान सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं अन्य एजेन्सियों से वित्त पोषित हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केन्द्रों को 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान करता है।

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर ने भावी रणनीति की रूपरेखा आरेखित करते हुए विजन डॉक्यूमेन्ट तैयार किया। इसके अतिरिक्त, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए पंचवर्षीय योजना भी तैयार की गयी थी। विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए वार्षिक योजनाएँ भी तैयार की गयी थी। तथापि, विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के कुछ मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

वार्षिक योजनाएँ तैयार की गयी थी, लेकिन प्राथमिकताएँ, समयसीमा, एवं परिणामों के आंकलन के सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश तैयार नहीं किये गये। यह पाया गया कि निदेशक, अनुसंधान तथा निदेशक, प्रसार शिक्षा द्वारा तैयार की गयी वार्षिक योजनाएँ विलम्ब से अनुमोदित की गयी।

कई प्रकरणों में, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, उचित जल एवं मृदा विश्लेषण के बिना तथा पुरानी किस्म को उपयोग में लेकर किये गये। विविध कार्यक्रमों के अंतर्गत अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों में कमी भी थी।

कृषि विज्ञान केन्द्रों ने फसल उत्पादन, पशु संवर्धन और उद्यान आदि विषयों में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षण संचालित किये। तथापि, विविध ऑन-कैम्पस, ऑफ-कैम्पस, व्यवसायिक और राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के प्रशिक्षणों में कमी थी।

कपास की बांसवाड़ा जिले की उत्पादकता राज्य की उत्पादकता की तुलना में कम थी यद्यपि भारतीय समन्वित कपास विकास परियोजना 1999 से संचालित थी। इसी प्रकार, राजस्थान कृषि महाविद्यालय में ज्वार एवं मूँगफली पर भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं से सम्बन्धित बीजों की उत्पादकता उनके द्वारा पूर्वानुमानित औसत उत्पादन की तुलना में बहुत कम थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विभिन्न फसलों में प्रजनक बीजों के उत्पादन में कमी थी।

परिचय

राजस्थान सरकार ने महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (प्रारम्भिक रूप में नाम कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर) राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर से अलग करके स्थापित किया¹। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी क्षेत्र, विशेष रूप से दक्षिणी राजस्थान के लिए अधिक उपयुक्त स्थान विशिष्ट कार्यक्रम फसल, फसल पद्धति, जलवायु, मृदा मापदण्डों आदि को सम्मिलित करते हुए उपलब्ध कराना था।

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को तीन कृषि जलवायु क्षेत्रों यथा उप-आर्द्र दक्षिणी मैदान एवं अरावली पर्वत, आर्द्र दक्षिणी और उत्तर पूर्वी मैदान में वर्गीकृत किया गया था। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में संघटक महाविद्यालय, कृषि अनुसंधान केन्द्र, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, पशुधन अनुसंधान केन्द्र, बारानी कृषि अनुसंधान केन्द्र एवं राज्य के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हिस्सों के 12 जिलों² में फैले हुए कृषि विज्ञान केन्द्र शामिल हैं।

राजस्थान सरकार द्वारा तीन और कृषि विश्वविद्यालय यथा जोबनेर, जोधपुर एवं कोटा 14 सितम्बर 2013 को सृजित किये गये थे एवं चार जिले (बारां, बून्दी, झालावाड़ व कोटा) कृषि विश्वविद्यालय कोटा में और एक जिला (सिरोही) कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर में स्थानान्तरित किये गये थे। शेष सात जिलों³ निरन्तर महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में थे।

¹ राजस्थान सरकार का 1999 का अस्त्रादेश संख्या 6, जो मई 2000 में कानून बना।

² बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बून्दी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सिरोही व उदयपुर।

³ बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमन्द व उदयपुर।


महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विशिष्ट उद्देश्य है:

- कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों की विभिन्न शाखाओं में शिक्षण और प्रशिक्षण देना।
- सीखने और अनुसंधान करने, उभरती समस्याओं के समाधान की मांग को आगे बढ़ाना।
- विभिन्न विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों, सरकारी और गैर-सरकारी कृषि संगठनों को प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण।
- विविध तकनीकी सेवाएँ और परामर्श प्रदान करना।
- शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार शिक्षा के लिये राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्बन्धों का विकास।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में प्रबन्धक मंडल, शैक्षणिक परिषद, अनुसंधान परिषद, प्रसार शिक्षा परिषद, संकाय जिसमें स्नातकोत्तर अध्ययन व उनके अध्ययन मंडल या विश्वविद्यालय के अन्य निकाय जिन्हें विश्वविद्यालय के प्राधिकारी रूप में विधियों द्वारा घोषित किया गया हो, शामिल है।

संगठनात्मक ढांचा

विश्वविद्यालय का संगठनात्मक ढांचा नीचे दिखाया गया है:



विश्वविद्यालय की मुख्य तीन गतिविधियां शिक्षण, अनुसंधान और प्रसार शिक्षा से सम्बन्धित है। निदेशक, अनुसंधान राज्य के दक्षिण एवं दक्षिणी-पूर्वी भाग में दोनों बुनियादी और व्यवहारिक, आवश्यकता आधारित, उत्पादन उन्मुख कृषि अनुसंधान की योजना, समन्वय और अनुश्रवण के लिये जिम्मेदार है। विश्वविद्यालय में अनुसंधान कार्यक्रमों को कृषि विकास में सहायता के उद्देश्य के लिये और ग्रामीण आबादी के लाभ के लिये किया जाता है। निदेशक, प्रसार शिक्षा, प्रक्रिया प्रसार शिक्षा के विकास एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों में विभिन्न प्रशिक्षणों, क्षेत्र दिन आदि के माध्यम से हितधारकों को ज्ञान और प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण के लिये जिम्मेदार है। विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालय यथा राजस्थान कृषि महाविद्यालय, प्रौद्योगिकी एवं कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, गृह विज्ञान महाविद्यालय, दुग्ध एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, मत्स्यकी महाविद्यालय जो सभी उदयपुर में हैं तथा उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय झालावाड़ में हैं।

वित्तीय स्थिति

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत अनुसंधान गतिविधियां राजस्थान सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं अन्य एजेन्सियों द्वारा वित्त पोषित है। अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएँ दीर्घावधि परियोजनाएँ हैं जो राज्य कृषि विश्वविद्यालयों एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बीच वार्षिक योजना प्रक्रिया के आधार पर नियोजित और संचालित की जाती है। अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएँ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य द्वारा 75:25 प्रतिशत के अनुपात में वित्त पोषित हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तर्द्धा अनुसंधान योजनाएँ एवं अन्य एजेन्सियों से प्रायोजित योजनाएँ उनके द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित हैं। राज्य आयोजना परियोजनाएँ राज्य द्वारा वित्त पोषित हैं और क्षेत्र की आवश्यकता आधारित क्षेत्रीय समस्याओं को सुलझाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केन्द्रों, राष्ट्रीय कृषि नवीनीकरण परियोजना, कृषि विश्वविद्यालय के विकास एवं सुदृढ़ीकरण, कृषि फार्मों का आधुनिकीकरण एवं अन्य केन्द्रीय योजनाओं के लिये 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान करती है। विश्वविद्यालय फीस, अनुदान, दान, ऋण और अन्य प्राप्तियों के द्वारा आय जमा करके सामान्य निधि का संचालन करता है।

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान निर्मुक्त निधियों एवं व्यय की स्थिति नीचे तालिका में दी गयी है:

तालिका 3: निर्मुक्त निधियों व व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
		आय	व्यय	आय	व्यय	आय	व्यय	आय	व्यय	आय	व्यय
1	गैर-आयोजना (राज्य)	41.00	37.23	46.00	46.18	49.00	52.30	49.00	52.00	44.13	56.76
2	आयोजना (राज्य)	3.91	4.93	4.97	5.86	9.70	8.89	13.56	11.58	14.12	12.06
3	कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए आयोजना (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)	6.13	6.48	15.67	9.34	8.89	14.10	7.66	10.10	40.52	41.83
4	केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ (राष्ट्रीय कृषि नवीनीकरण परियोजनाएँ, अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजनाएँ आदि)	36.54	42.79	63.33	44.75	44.54	57.89	37.94	42.08	19.02	13.15
5	विश्वविद्यालय का स्वयं का राजस्व	3.01	2.22	5.03	2.79	6.17	3.52	7.83	3.69	7.14	2.62
6	अन्य (स्वप्रोपित/ भुगतान सोट)	1.59	1.95	3.02	2.06	2.23	3.00	3.04	2.65	3.12	2.49
7	कुल (1 से 6)	92.18	95.60	138.02	110.98	120.53	139.70	119.03	122.10	128.05	128.91
8	छठे केंद्रीय वेतन आयोग की बकाया (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 80 प्रतिशत भाग)	00.00	00.00	17.26	1.62	1.66	16.01	00.00	1.29	Nil	Nil
9	विश्वविद्यालय के स्टॉफ को पेन्शन के भुगतान के लिए ऋण	2.75	2.75	23.43	23.43	1.50	1.50	12.49	12.49	9.00	9.00
10	योग (8+9)	2.75	2.75	40.69	25.05	3.16	17.51	12.49	13.78	9.00	9.00
11	कुल योग (7+10)	94.93	98.35	178.71	136.03	123.69	157.21	131.52	135.88	137.05	137.91

2.1.1 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह आंकलन करने के लिए की गई थी कि क्या:

- विश्वविद्यालय के कार्यों एवं विभिन्न गतिविधियों के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटन के साथ प्रभावी योजना थी।

- प्रसार शिक्षा, अनुसंधान गतिविधियां एवं प्रशिक्षण उनके उद्देश्यों और अनुसंधान निष्कर्षों के अनुसार किए गए थे और रिपोर्ट उचित रूप से प्रसारित की गई थी।
- बीज उत्पादन एवं अन्य कार्यक्रमों को, कार्यक्रम उद्देश्यों के अनुरूप प्रभावी ढंग से किया गया था।

2.1.2 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित स्त्रोतों से लिये गये मानदण्डों को अपनाया गया:

- महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000;
- सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम;
- परियोजना दिशा-निर्देश; और
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं भारत सरकार द्वारा जारी आदेश एवं परिपत्र।

2.1.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

अनुसंधान और प्रसार शिक्षा से सम्बन्धित महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की गतिविधियों को सम्मिलित करते हुऐ 2009-10 से 2013-14 की अवधि के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा की गयी (फरवरी से अगस्त 2014)। लेखापरीक्षा संवीक्षा में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सहित सभी छः महाविद्यालयों, निदेशालय, अनुसंधान (उदयपुर) के अन्तर्गत सात कृषि अनुसंधान केन्द्रों/उपकेन्द्रों एवं निदेशालय, प्रसार शिक्षा (उदयपुर) के अन्तर्गत चार कृषि विज्ञान केन्द्रों⁴ के अभिलेखों की समीक्षा सम्मिलित है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग के साथ एक प्रारम्भिक बैठक मार्च 2014 में आयोजित की गयी जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर विचार विमर्श किया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्ष राज्य सरकार को नवम्बर 2014 में प्रेषित किये गये। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से प्राप्त उत्तर (दिसम्बर 2014) का निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देते समय ध्यान में रखा गया। सरकार ने महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के उत्तर को दिसम्बर 2014 में पृष्ठांकित किया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये विभिन्न निष्कर्षों की अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है।

⁴ बून्दी, चित्तौड़गढ़, राजसमन्द व सिरोही

2.1.4 योजना

योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयन का एक अभिन्न हिस्सा है। निदेशालय, आयोजना एवं पर्यवेक्षण, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नये विकास कार्यक्रमों की योजना और क्रियान्वयन के साथ-साथ उनकी प्रगति के मूल्यांकन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। योजना, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन एकीकृत होने चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारित प्राथमिकताएँ सही थी, प्राथमिकताओं के अनुसार पर्याप्त संसाधन आवंटित किये गये थे और निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्राप्त प्रगति संतोषप्रद थी।

विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किये गये विजन डॉक्यूमेन्ट के अनुसार प्रत्येक निदेशालय एवं संकाय हेतु व्यवस्थित पर्यवेक्षण तंत्र तैयार किया जाना था। प्रबन्धकीय निर्णय एवं जांच रणनीतियों को सुगम बनाने और प्रभाव आंकलन का अध्ययन, संगठनात्मक एवं मानवशक्ति योजना पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए निदेशक, आयोजना एवं पर्यवेक्षण द्वारा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्तर पर उसे समेकित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने 2000-01 में विजन-2020 एवं 2010-11 में विजन-2030 नाम की दो परिप्रेक्ष्य योजनाएँ तैयार की थी। इन विजन डॉक्यूमेन्ट में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की पूर्व की उपलब्धियों को संक्षेपित और भावी रणनीतियों को उल्लिखित किया गया। इसके अतिरिक्त, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) एवं बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की सभी गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए तैयार की गयी थी। सम्बन्धित निदेशकों, अधिष्ठाताओं और कृषि विज्ञान केन्द्रों ने उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के लिये वार्षिक योजनाएँ तैयार की। यद्यपि, वार्षिक योजनाएँ तैयार करने व गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश नहीं थे। निदेशक, अनुसंधान द्वारा 2011-12 एवं 2012-13 के लिए तैयार की गयी वार्षिक योजनाएँ अनुसंधान परिषद द्वारा क्रमशः मार्च 2012 एवं जून 2013 में अनुमोदित की गई थी। इसी प्रकार, निदेशक, प्रसार शिक्षा द्वारा वर्ष 2009-10 एवं 2011-12 के लिए तैयार की गई वार्षिक योजनाएँ प्रसार शिक्षा परिषद द्वारा क्रमशः अक्टूबर 2009 एवं अक्टूबर 2011 में अनुमोदित की गई। वार्षिक योजनाओं के अनुमोदन में विलम्ब के कारण लक्ष्यों के संप्रेषण में देरी हुई परिणामतः कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी एवं राजसमन्द के अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों के लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जैसा कि अनुर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

सरकार ने बताया कि कार्यक्रमों के समय पर निष्पादन में कोई संप्रेषण अन्तराल नहीं था। उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र बून्दी एवं राजसमन्द ने स्वीकार किया था कि लक्ष्यों की कम प्राप्ति का कारण, लक्ष्यों का देरी से संप्रेषण था।

- महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अनुसंधान कार्य को सुदृढ़ करने के लिए एक पंचवर्षीय योजना (2012-17) तैयार की गई थी। तथापि, आवश्यक निधियां (₹ 32.10 करोड़) निदेशक, अनुसंधान द्वारा प्राप्त नहीं की गई थी एवं योजना में निर्दिष्टानुसार गतिविधियों⁵ पर दिसम्बर 2014 तक कोई व्यय नहीं किया गया था। इसी प्रकार, नये डिप्लोमा शिक्षण प्रमाण-पत्र कार्यक्रम, जो विजन डॉक्यूमेन्ट 2030 के अनुसार उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, झालावाड़ में शुरू किये जाने थे, मुख्यतः मानव संसाधनों की कमी के कारण आरम्भ नहीं किये जा सके। दुग्ध एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, उदयपुर में विजन डॉक्यूमेन्ट 2030 में दर्शित अनेक गतिविधियां⁶ आवश्यक मानवशक्ति के अभाव में नहीं की गई थी।
- दो वृहद उद्देश्यों को यथा विविध तकनीकी सेवाएं प्रदान करना और उद्योगों में कृषि से सम्बन्धित परामर्श एवं महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शिक्षण, अनुसंधान व प्रसार शिक्षा के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्बन्ध विकसित करना वार्षिक कार्ययोजनाओं एवं पंचवर्षीय योजनाओं में प्रतिबिम्बित नहीं किया गया।

अनुसंधान एवं प्रसार शिक्षा गतिविधियों से सम्बन्धित विविध कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है।

2.1.5 प्रसार शिक्षा

प्रसार शिक्षा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण घटक है। निदेशालय, प्रसार शिक्षा, हितधारकों को तकनीकी का हस्तान्तरण और प्रसार शिक्षण प्रक्रियाओं के विकास के लिए जिम्मेदार है। निदेशालय, प्रसार शिक्षा का मिशन दक्षिणी राजस्थान में उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी का विकास करना है। प्रसार गतिविधियों के लिए, निदेशालय, प्रसार शिक्षा प्रशिक्षण, खेत सलाहकार सेवाओं एवं सूचना उपलब्ध कराते हुए तेजी से प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण के माध्यम से राज्य के दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कृषि विकास को उन्नत करने में व्यस्त है। यह महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कार्यरत कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रसार कार्यक्रमों का मूल्यांकन, पर्यवेक्षण और दिशा-निर्देश भी जारी करता

⁵ जलवायु अनुरूप कृषि अनुसंधान, एकीकृत कृषि प्रणाली अनुसंधान, मृदा की गुणवत्ता एवं मृदा स्वास्थ्य अनुसंधान, रिजर्व संरक्षण एवं कृषि व जैविक खेती के लिये उत्कर्ष केन्द्र आदि।

⁶ शिक्षा में उत्कृष्टता के लिये विजन, औद्योगिक सम्बन्ध, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क, नई प्रायोगिक ज्ञान इकाइयों आदि।

है। विश्वविद्यालय के स्वयं के लिए निर्धारित किये गये प्रसार शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र एक महत्वपूर्ण घटक है। कृषि विज्ञान केन्द्रों की विभिन्न गतिविधियों की नीचे चर्चा की गई है:

कृषि विज्ञान केन्द्र

कृषि विज्ञान केन्द्र, प्रसार कार्यकर्ताओं एवं किसानों को आवश्यकता आधारित व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक नवीन विज्ञान आधारित मूलभूत संस्थान है। कृषि विज्ञान केन्द्रों के उद्देश्य ये:

- स्थान विशिष्ट संपोषणीय भूमि उपयोग प्रणाली के सम्बन्ध में प्रौद्योगिकी की पहचान करने के लिए खेतों पर परीक्षण संचालित करना,
- फीडबैक सूचना एवं उत्पादन डाटा सृजित करने के लिए विभिन्न फसलों पर अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों का आयोजन करना,
- नियमित आधार पर कृषि अनुसंधान में होने वाली उन्नति सहित प्रसार कार्मिकों को अद्यतन करने के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना,
- रोजगार सृजन एवं उच्च उत्पादन के लिए क्रियामूलक ज्ञान पर जोर देते हुए ग्रामीण युवकों एवं किसानों के लिए कृषि एवं सम्बद्ध व्यवसाय पाठ्यक्रमों में लघु एवं दीर्घावधि व्यवसायिक प्रशिक्षण आयोजित करना।
- जिले की कृषि सम्बन्धी अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए सार्वजनिक एवं स्वैच्छिक क्षेत्रों की सहायक पहल का कृषि सम्बन्धी प्रौद्योगिकी के ज्ञान केन्द्र के रूप में कार्य करना।

2.1.5.1 कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा संचालित अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन

नई फसलों एवं प्रौद्योगिकी की किसानों को जानकारी, उनके स्वीकार करने की तरफ प्रथम महत्वपूर्ण कदम है। तदनुसार, कृषि विज्ञान केन्द्रों को संभावित नई जारी की गई किस्मों/प्रौद्योगिकियों का प्रथम बार किसानों के खेतों पर अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन का आयोजन करना था और पारम्परिक प्रयोगों पर नई किस्म/प्रौद्योगिकियों को लागू करना था। यह देखा गया कि लक्ष्यों के आवंटन के समय क्षेत्रीय परियोजना निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जोधपुर द्वारा नियमित निर्देश जारी किये गये थे कि केवल नई किस्मों के अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन किये जायें और अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों हेतु जल एवं मृदा परीक्षणों तथा मृदा की पोषक आवश्यकताओं के आधार पर योजना बनायी जायें।

(i) सभी खण्डों को शामिल नहीं करना

दिशा-निर्देशानुसार, प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र को 10 गांवों में 100 प्रदर्शन, 40 हैक्टर क्षेत्र में प्रति वर्ष करने थे। यह इस प्रकार नियोजित करना था कि तीन वर्षों में सम्पूर्ण क्षेत्र में उन्नत किस्म को परिवर्तित किया जा सके। यह देखा गया

कि 2009-14 के दौरान चयनित तीन जिलों के 24 खण्डों में से 5 खण्डों⁷ में कोई अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन/प्रदर्शन नहीं किये गये जिसके परिणामस्वरूप इन खण्डों के कृषकों को वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई नई उन्नत तकनीक से बंचित रहना पड़ा।

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा इन तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि कृषि विज्ञान केन्द्रों पर अग्रिम पंक्ति विस्तार केन्द्रों हेतु बजट एवं स्टॉफ सीमित था जिससे पूर्ण जिले को शामिल किया जाना सम्भव नहीं था। आगे बताया गया कि जिले के सभी खण्डों को शामिल किये जाने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का था। तथापि सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

(ii) मृदा परीक्षण किये बिना अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन

क्षेत्रीय परियोजना निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जोधपुर द्वारा अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों के लिए लक्ष्यों का आवंटन इस शर्त के साथ किया गया था कि प्रत्येक अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, मृदा एवं जल परीक्षण विश्लेषण के पश्चात किये जायें।

चयनित चार कृषि विज्ञान केन्द्रों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि मृदा परीक्षण के निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धियों को प्राप्त नहीं किया गया। कृषि विज्ञान केन्द्र, चित्तौड़गढ़ में 2012-14 की अवधि के दौरान लक्ष्यों के विपरीत 68 प्रतिशत कमी रही। कृषि विज्ञान केन्द्र, सिरोही में वर्ष 2009-14 के दौरान निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध कमी 60.33 प्रतिशत थी। कृषि विज्ञान केन्द्र, राजसमन्द में मृदा परीक्षण की स्थिति केवल 8.76 प्रतिशत कमी के साथ संतोषप्रद थी। आगे, कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी की प्रयोगशाला के लिये मृदा एवं जल परीक्षण के लिये लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था। तथापि, 2009-14 के दौरान 1816 अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों को बिना मृदा परीक्षण किया गया क्योंकि वहां मृदा वैज्ञानिक का पद 2006 से रिक्त था।

सरकार ने उत्तर दिया कि कृषि विज्ञान केन्द्र, चित्तौड़गढ़ के मामले में जिले में मृदा परीक्षण के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन किये गये। कृषि विज्ञान केन्द्र, सिरोही में सभी कृषकों के नमूनों का परीक्षण किये जाने के लिये पर्याप्त स्टॉफ एवं निधि उपलब्ध नहीं थी तथा बून्दी में राज्य सरकार की प्रयोगशाला में प्रदर्शन क्षेत्र के मृदा परीक्षण लिये गये। उत्तर को इन तथ्यों के आधार पर देखा जाना चाहिए कि कृषि विज्ञान केन्द्र, सिरोही एवं बून्दी में स्थापित मृदा परीक्षण प्रयोगशाला अकार्यशील थी और कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी में अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन बिना मृदा परीक्षण के किये गये थे।

⁷ तालेड़ा और इन्द्रगढ़ (बून्दी), रावतभाटा (चित्तौड़गढ़), भीम और कुम्भलगढ़ (राजसमन्द)

(iii) अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों में कमी

(अ) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत दलहन के अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों में कमी

राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा दक्षिणी एवं पूर्वी राजस्थान में प्रमुख दलहनों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत अक्टूबर 2010 में एक परियोजना को अनुमोदित किया गया। परियोजना को तीन वर्षों, 2011-12 से 2013-14 के लिये ₹ 5.61 करोड़ की लागत से अनुमोदित किया गया (₹ 3 करोड़ निर्माण कार्यों और अनावृति मदों पर तथा ₹ 2.61 करोड़ योजना के संचालन हेतु)। यह परियोजना सभी 12 कृषि विज्ञान केन्द्रों, कृषि अनुसंधान केन्द्र, कोटा एवं बाँसवाड़ा में क्रियान्वित की जानी थी। प्रदर्शन में खरीफ मौसम में उड़द एवं मूँग तथा रबी मौसम में चना एवं मसूर प्रमुख दलहने थी।

आगे, प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा 10 ग्रामों में 100 प्रदर्शन, 40 हैक्टर क्षेत्र में प्रतिवर्ष, प्रमुख दलहन फसलों के किये जाने थे। इन प्रदर्शनों में उत्पादित बीजों को पास के ग्रामों के कृषकों को व नजदीक के क्षेत्र में वितरित करना था। यह कार्यक्रम इस प्रकार से नियोजित किया जाना था जिससे तीन वर्षों में उन्नत किस्म से पूरे क्षेत्र को आवृत किया जा सके।

हमारी जांच में निम्नलिखित पाया गया:

- परियोजना के दिशा-निर्देशानुसार 2011-14 के दौरान 16800 अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन 6720 हैक्टर भूमि में किये जाने थे, किन्तु निदेशक, प्रसार शिक्षा द्वारा 4500 अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों के लक्ष्यों का आवंटन 1800 हैक्टर के लिये किया गया। इसके विपरीत निदेशक, प्रसार शिक्षा द्वारा 5239 अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों को 1813.96 हैक्टर में किया गया जो निर्धारित आवंटन से 739 अधिक थे।

राज्य सरकार ने बताया कि लक्ष्यों के कम निर्धारण किये जाने का मुख्य कारण बीज की नवीनतम किस्म की अनुपलब्धता थी।

- योजना के संचालन के लिये स्वीकृत ₹ 2.61 करोड़ में से ₹ 1.34 करोड़ का व्यय किया गया। आगे, निर्माण कार्यों और अनावृति मदों के लिये स्वीकृत ₹ 3 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹ 0.22 करोड़ का व्यय किया गया। ₹ 0.50 करोड़ का भुगतान अनुबंधित स्टॉफ के वेतन-भत्ते पर किया गया जबकि योजना में इसका कोई प्रावधान नहीं था।
- चयनित चार कृषि विज्ञान केन्द्रों में यह पाया गया कि 1440 हैक्टर में 3600 अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों के लक्ष्यों के विरुद्ध केवल 1686 अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों को 641.05 हैक्टर भूमि में किया गया।

- परियोजना में रबी मौसम में चना एवं उड्ड के प्रदर्शन किये जाने निर्देशित थे। तथापि, केवल चने के प्रदर्शन ही किये गये।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि कमी का कारण उच्च पैदावार वाले उन्नत किस्म के नवीनतम बीज की उपलब्धता का अभाव था।

(ब) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत तिलहन के अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों में कमी

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत, दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में 2013-14 से 2015-16 की अवधि में खरीफ की मुख्य तिलहन पैदावार में वृद्धि के नाम से परियोजना चालू की गई। इसके तकनीकी कार्यक्रमानुसार खरीफ तिलहन (सोयाबीन, मूँगफली, तिल एवं अरण्डी) के प्रदर्शन किये जाने थे। जुलाई 2011 में प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र को फसल के प्रतिवर्ष 10 गांवों में 100 प्रदर्शन, 40 हैक्टर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित किया गया। चयनित चार कृषि विज्ञान केन्द्रों के अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि:

- 2013-14 के दौरान 640 हैक्टर भूमि में 1600 अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों के विपरीत 62.80 हैक्टर भूमि में केवल 157 अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन किये गये।
- चयनित चार कृषि विज्ञान केन्द्रों में किसी के द्वारा भी इस परियोजना के अन्तर्गत मूँगफली के कोई भी अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन नहीं किये गये।

सरकार द्वारा मूँगफली में अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों के कम होने का कारण, बीज की उपलब्धता कम होना बतलाया गया। उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि इन्हे अपने स्वयं के फार्मों पर नवीनतम उन्नत किस्म के बीज पैदा करके अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों हेतु रक्षित रखना चाहिये।

(स) अनाजों के अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों में कमी

क्षेत्रीय परियोजना निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न फसलों के अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों के लक्ष्यों का आवंटन किया जाता है। 2009-14 के दौरान चयनित कृषि विज्ञान केन्द्रों में अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, निर्धारित लक्ष्यों के विपरीत कम थे। तीन फसलों, मक्का, गेहूँ एवं जौ के लिए 667.60 हैक्टर भूमि में 1633 अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों के कुल लक्ष्यों के विपरीत 483.10 हैक्टर में 1131 अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों की उपलब्धि रही। इस प्रकार इस अवधि में यह कमी 30.74 प्रतिशत थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए, कमी का कारण, सीमित बजट की उपलब्धता को बताया।

(iv) उन्नत किस्म की नवीनतम फसलों एवं विकसित तकनीक का प्रसार नहीं किया जाना

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन हेतु जारी दिशा-निर्देश की शर्तों में, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन में फसलों की केवल नवीनतम किस्मों/तकनीकों के प्रदर्शनों को ही किया जाना आवश्यक था।

चयनित चार कृषि विज्ञान केन्द्रों⁸ में यह पाया गया कि 2009-14 के दौरान 1968 से 1997 के मध्य जारी/विकसित विभिन्न फसलों⁹ की पुरानी किस्मों के 1718 प्रदर्शन/अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन किये गये, जबकि इन्हीं फसलों की नई किस्में/तकनीक 2003 से 2012 के मध्य जारी/विकसित की जा चुकी थी। आगे, कृषि विज्ञान केन्द्रों में कई प्रदर्शनों/अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों के संबंध में उनकी किस्मों के जारी किये जाने वाले वर्षों के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। निदेशक, प्रसार शिक्षा द्वारा ऐसा कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल नवीनतम फसलों की किस्मों एवं तकनीकों को ही सम्बन्धित प्रदर्शनों/अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन हेतु कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा अपनी कार्ययोजना में शामिल किया गया।

सरकार द्वारा उत्तर में बताया गया कि 2009-14 के दौरान नवीनतम किस्म के जारी किये गये बीज बाजार में उपलब्ध नहीं होने के कारण नई किस्मों का उपयोग नहीं किया जा सका। उत्तर को तथापि, इन तथ्यों के आधार पर देखा जाना चाहिए कि यह फसलों की जारी नवीनतम किस्मों एवं नई विकसित तकनीक के प्रदर्शनों के उद्देश्यों को विफल करता है। आगे, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को नई किस्मों के बीज अपने स्वयं के कृषि फार्मों पर पैदा करके अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों में उपयोग लेना चाहिये था।

(v) प्रसार गतिविधियों का अनुश्रवण

कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा विभिन्न फसलों के प्रदर्शन/अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन खरीफ, रबी और गर्मी के मौसम में किये गये। यह पाया गया कि कृषि विज्ञान केन्द्रों पर ऐसा कोई तंत्र नहीं था, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कितने कृषकों द्वारा नई तकनीक को अपनाया गया, तथा नई किस्म से एक जिले में कितना क्षेत्र आवृत हुआ और उत्पादकता (किवंटल प्रति हैक्टर) क्या रही। आगे, निदेशक, प्रसार शिक्षा पर भी मूल्यांकन का ऐसा तंत्र नहीं पाया गया जिससे कितने कृषकों द्वारा नई तकनीकों को अपनाया जाने की जानकारी हो। किसी तंत्र के अभाव में

⁸ बून्दी, चित्तौड़गढ़, राजसमन्द और सिरोही

⁹ मक्का, जौ, गेहूं, सरसों, ज्वार एवं चना

कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले कृषकों में तकनीक का प्रसार हुआ, इसका मूल्यांकन नहीं किया गया।

इस प्रकार, दलहन, तिलहन एवं अनाजों में कम रहे अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों के परिणास्वरूप कृषकों को अनुसंधान कार्यक्रमों में विकसित नई तकनीकी के लाभों तक बंचित रखा जाकर उन तक नहीं पहुंचाया गया।

2.1.5.2 मशीनों एवं संयंत्रों के उपयोग का अभाव

यह पाया गया कि सरकार की विभिन्न योजनाओं में ₹ 92.60 लाख की लागत से स्थापित 10 प्रयोगशालाएँ जैसे रोग पूर्वानुमान प्रयोगशाला, मिट्टी एवं जल प्रयोगशाला, पौध स्वास्थ्य क्लिनिक/निदान प्रयोगशाला, बीज परीक्षण प्रयोगशाला एवं एक बीज श्रेणीकरण चल इकाई, जो चार कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं चार कृषि अनुसंधान केन्द्रों/कृषि अनुसंधान उपकेन्द्रों¹⁰ पर कर्मचारियों की अनुपलब्धता, निधियों की कमी, संयंत्रों के अभाव, अकार्यशील प्रयोगशाला कक्ष एवं कृषकों द्वारा कम मांग के कारणों से अकार्यशील थी। इस प्रकार, कृषकों का लाभ दिये जाने हेतु इन प्रयोगशालाओं को स्थापित किये जाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

सरकार लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सहमत थी।

2.1.6 प्रशिक्षण

कृषि विज्ञान केन्द्र का मुख्य कार्य कृषकों, कृषक महिलाओं, ग्रामीण युवकों एवं प्रसार कार्यकर्ताओं हेतु पूरे वर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया जाना है। ये प्रशिक्षण कार्ययोजना के अनुसार फसल उत्पादन, बागवानी उत्पादन, पशु संवर्धन, गृह विज्ञान, पौध उत्पादन, मृदा विज्ञान आदि पर संस्थान में, साथ ही साथ गांवों में आयोजित किये जाते हैं। विभिन्न विषयों में ऑन-कैम्पस/ऑफ-कैम्पस तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण आयोजित किये गये।

2.1.6.1 ऑन-कैम्पस प्रशिक्षण

कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा कृषि की नवीनतम विकसित तकनीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं सम्बद्ध विज्ञान तथा इनमें दक्षता प्राप्त करने हेतु कृषि विज्ञान केन्द्रों पर ऑन-कैम्पस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। चयनित चार कृषि विज्ञान केन्द्रों में कुछ पाठ्यक्रम जैसे फसल उत्पादन, बागवानी एवं प्रसार गतिविधियों आदि में निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धियां काफी अधिक (242 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के विरुद्ध 416 का आयोजन) थी, कुछ पाठ्यक्रमों जैसे पशु संवर्धन, गृह विज्ञान, पौध संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य एवं उत्पादकता का प्रबन्धन आदि में कमियां पाई गई (लक्षित 283 के विरुद्ध 153 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

¹⁰ कृषि विज्ञान केन्द्र- बून्दी, भीलवाड़ा, राजसमन्द, सिरोही, कृषि अनुसंधान केन्द्र- कोटा, बाँसवाड़ा, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र- खानपुर एवं अकलोरा

आयोजित किये गये और 7475 के विरुद्ध 3999 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा भाग लिया गया)।

2.1.6.2 ऑफ-कैम्पस प्रशिक्षण

ऑफ-कैम्पस प्रशिक्षणों का आयोजन कृषकों की मुख्य समस्याओं का कृषकों के खेतों पर ही तकनीकों का प्रदर्शन करके किया जाता है। चयनित चार कृषि विज्ञान केन्द्रों में पाया गया कि कुछ पाठ्यक्रमों जैसे गृह विज्ञान, पौध संरक्षण आदि में लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धियाँ काफी अधिक थी इनमें 179 के विरुद्ध 324 ऑफ-कैम्पस प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया। दूसरी ओर, कुछ पाठ्यक्रमों जैसे फसल उत्पादन, बागवानी, प्रसार व्यक्तित्व, मृदा स्वास्थ्य एवं उत्पादकता प्रबन्धन आदि में उल्लेखनीय कमियां पाई गई। 2009-14 के दौरान 735 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, जिनमें 21615 प्रतिभागियों को लाभान्वित किया जाना था, के विरुद्ध केवल 342 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया जिससे केवल 8398 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया।

सरकार ने लेखापरीक्षा के मत पर सहमत होते हुए बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा ऑन-कैम्पस एवं ऑफ-कैम्पस प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों हेतु कम बजट का आवंटन किया गया और निधि के विलम्ब से प्राप्त होने के कारण लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

2.1.6.3 व्यवसायिक प्रशिक्षण

कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षणों जैसे सिलाई, मोटर बाइन्डिंग, मधुमक्खी पालन, नर्सरी प्रबन्धन आदि का आयोजन कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार तथा आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिये किया जाता है।

हमने पाया कि:

- कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी को विभिन्न विषयों में 10 व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर इनमें 200 प्रतिभागियों को लाभान्वित किया जाना था तथापि, 2011-12 में लक्ष्यों के प्राप्त किये जाने के अतिरिक्त यहाँ 2009-14 के दौरान छः प्रशिक्षण कार्यक्रम और 128 प्रतिभागियों की कमी रही। आगे, 2009-14 के दौरान वार्षिक कार्ययोजना में कृषि एवं पशुजानकार, मधुमक्खी पालन, नर्सरी प्रबन्धन, फल एवं सब्जी बचाव के विभिन्न विषयों को व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया गया। तथापि, व्यवसायिक प्रशिक्षण केवल सिलाई पर ही दिया गया। 2012-13 के दौरान कोई भी व्यवसायिक प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किया गया।

सरकार ने उत्तर दिया गया कि प्रतिभागी, कृषि एवं पशुजानकार तथा मधुमक्खी पालन के प्रशिक्षण की तरफ नहीं जाते और इस जिले में सिलाई प्रशिक्षण की मांग थी। उत्तर को इस सन्दर्भ में देखा जाये कि कार्ययोजना को आवश्यकता के आधार पर जांच के बाद बनाया जाना चाहिए था।

- कृषि विज्ञान केन्द्र, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमन्द द्वारा 2009-14 के दौरान व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास मिशन के अतिरिक्त) के लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये, जबकि कृषि विज्ञान केन्द्र, चित्तौड़गढ़ द्वारा 11 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का 275 प्रतिभागियों के साथ आयोजन किया गया और कृषि विज्ञान केन्द्र, राजसमन्द द्वारा तीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का 70 प्रतिभागियों के साथ आयोजन किया गया। कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, चित्तौड़गढ़ द्वारा उत्तर दिया गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र को अलग से कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती।
- कृषि विज्ञान केन्द्र, सिरोही द्वारा 2009-14 के दौरान 19 व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 497 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया गया। यह पाया गया कि केवल 2009-10 से 2011-12 में ही लक्ष्यों का निर्धारण किया गया, 2012-13 एवं 2013-14 की वार्षिक कार्ययोजना में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये।

2.1.6.4 राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के अन्तर्गत प्रशिक्षण

आजीविका के लिये कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राजस्थान सरकार के एक उपक्रम ‘राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम’ द्वारा प्रायोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब एवं कमज़ोर जनता की आजीविका को बड़े पैमाने पर सुगम और उन्नत करने के लिये नवीन एवं उपयुक्त रणनीति बनाना था। दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक कार्यक्रम में 25 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया जाना था। निदेशालय, शिक्षा प्रसार, उदयपुर की समीक्षा के दौरान पाया गया कि 2009-10 से 2013-14 के दौरान स्वीकृत राशि ₹ 64.75 लाख के विरुद्ध ₹ 55.67 लाख खर्च किये गये। यह भी पाया गया कि 10 कृषि विज्ञान केन्द्रों¹¹ द्वारा 78 स्वीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किये गये, जिनमें 500 अन्य प्रशिक्षणार्थी शामिल हो सकते थे।

¹¹ अन्ता-बारां, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बून्दी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, राजसमन्द एवं सिरोही

चार चयनित कृषि विज्ञान केन्द्रों में 2009 से 2014 के दौरान राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रम व उपलब्धियों की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 4: आयोजित कार्यक्रमों की स्थिति

क्र. सं.	कृषि विज्ञान केन्द्र का नाम	लक्ष्य		उपलब्धियाँ		कमी	
		प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	बून्दी	7	140	3	61	4	79
2	चित्तौड़गढ़	लक्ष्य निर्धारित नहीं	लक्ष्य निर्धारित नहीं	9	336	-	-
3	राजसमन्द	16	390	16	424	-	-
4	सिरोही	12	300	3	61	9	239

यह पाया गया कि राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित व्यवसायिक प्रशिक्षण दो कृषि विज्ञान केन्द्रों (बून्दी एवं सिरोही) द्वारा पर्याप्त संख्या में आयोजित नहीं किये गये।

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा तथ्यों को स्वीकार कर अवगत कराया गया कि भाग लेने वाले प्रतिभागियों द्वारा अपर्याप्त प्रतिक्रिया के कारण यह कमी रही।

कार्यक्रम के दिशा-निर्देशानुसार प्रशिक्षणकर्ता को प्रशिक्षणार्थियों से प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात सूचना प्राप्त कर उसे शामिल करते हुए राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम को भेजा जाना था। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को रोजगार की सुविधा/स्वरोजगार उपलब्ध कराने का दायित्व प्रमुख/समन्वयक/प्रशिक्षक का था। प्रशिक्षण के पश्चात लाभदायक रोजगार देना कार्यक्रम का अभिन्न भाग था। यह पाया गया कि वर्ष 2009-13 के दौरान निर्देशालय, शिक्षा प्रसार द्वारा इस प्रकार की अनुवर्ती कार्यवाही का अभिलेख संधारित नहीं किया गया। इस प्रकार, सुनिश्चित अनुवर्ती कार्यवाही के अभाव में कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ।

निर्देशक, शिक्षा प्रसार द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया कि वर्ष 2009-13 के दौरान अनुवर्ती कार्यवाही के अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया।

2.1.6.5 मूल्यांकन एवं अनुवर्ती कार्यवाही

प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और अन्य कार्यक्रमों पर अनुवर्ती कार्यवाही अति आवश्यक है और यह पूर्व-प्रशिक्षणार्थी सम्मेलन, गांवों का नियमित दौरा, कार्यक्रमों के लाभान्वितों के साथ विचार-विमर्श और यथास्थान निर्देश के साथ-साथ पत्र व्यवहार के माध्यम से क्रियान्वित किया जा सकता है। यह ध्यान में आया कि कृषि विज्ञान केन्द्रों की वार्षिक कार्ययोजना में यह परिकल्पित था कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों

को अद्यतन करने हेतु वर्ष 2009-14 के दौरान चयनित चार कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा पूर्व-प्रशिक्षणार्थियों की उनके अनुभवों/बाधाओं को जानने हेतु 75 सभायें आयोजित की जानी थी। यद्यपि, पूर्व-प्रशिक्षणार्थियों की केवल 16 सभायें आयोजित की गई थी। वर्ष 2009-14 के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी द्वारा पूर्व-प्रशिक्षणार्थियों की कोई भी सभा आयोजित नहीं की गई जबकि कृषि विज्ञान केन्द्र, चित्तौड़गढ़ एवं सिरोही द्वारा एक-एक सभा तथा कृषि विज्ञान केन्द्र, राजसमन्द द्वारा 14 सभायें आयोजित की गई थीं।

संवीक्षा में आगे यह भी उजागर हुआ कि कृषि विज्ञान केन्द्र, सिरोही में वर्ष 2009-14 के दौरान किसानों के खेतों पर वैज्ञानिकों के दौरे में 12 से 47.85 प्रतिशत तक की कमी थी। वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2012-13 के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी में क्रमशः 100, 43.75 और 31.25 प्रतिशत कमी थी। कृषि विज्ञान केन्द्र, राजसमन्द द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे।

2.1.7 अनुसंधान

राज्य के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों के लिये आवश्यकता आधारित उत्पादकता वाले कृषि अनुसंधानों हेतु योजना बनाने, समन्वयन और अनुश्रवण की जिम्मेदारी निदेशक, अनुसंधान की है। 1 अप्रैल 2009 को महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 68 अनुसंधान परियोजनाएँ थीं, वर्ष 2009-14 के दौरान 123 नयी परियोजनाएँ प्रारम्भ की गयी और 84 पूर्ण की गयी। तथापि, 107 अनुसंधान परियोजनाएँ 31 मार्च 2014 को चालू थीं।

अखिल-भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएँ

2.1.7.1 नई किस्में/हाईब्रिड को विकसित नहीं करना

अखिल-भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य अधिक उपज वाली किस्में/हाईब्रिड¹² विकसित करना था। यह पाया गया कि राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर द्वारा मक्का एवं ज्वार में दो हाईब्रिड किस्में विकसित की गई थीं। इसके अतिरिक्त, मक्का, गन्ना, मूँगफली, चावल, चना, सोयाबीन और कुल्थी आदि की फसलों में भी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना में नई किस्में विकसित की गई थीं। यद्यपि, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित लम्बी अवधि से संचालित परियोजनाओं में कोई नई किस्म/हाईब्रिड विकसित नहीं की गई थी।

¹² दो अलग-अलग संतति के पौधों के संकरण द्वारा उत्पन्न बीज, 'हाईब्रिड बीज' कहलाते हैं। हाईब्रिड बीज के उत्पादन के लिये पुरुष पौधों के पराग, निषेचन द्वारा महिला पौधे में स्थापित किये जाते हैं।

तालिका 5: परियोजनाओं का विवरण जिनमें कोई नई किस्म/हाईब्रिड विकसित नहीं की गई थी।

इकाई का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना प्रारम्भ होने का वर्ष	गत पाँच वर्षों के दौरान व्यय (वेतन एवं भत्ते सहित) ₹ लाखों में	नई किस्म/हाईब्रिड की स्थिति
1 कृषि अनुसंधान केन्द्र, बाँसवाड़ा	मक्का पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	1980	388.21	कोई हाईब्रिड उत्पादित नहीं हुई थी
	कपास पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	1982	225.60	कोई हाईब्रिड उत्पादित नहीं हुई थी
2 कृषि अनुसंधान केन्द्र, कोटा	चावल पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	1975	129.90	कोई हाईब्रिड उत्पादित नहीं हुई थी
	डूरम गेहूँ	1983	312.76	कोई नई किस्म विकसित नहीं की गई थी।
	मटर और मसूर	2005	96.95	कोई नई किस्म विकसित नहीं की गई थी।
	चना	2005	186.89	कोई नई किस्म विकसित नहीं की गई थी।
योग			1340.31	

कृषि मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं एवं संबंधित पैकेज ऑफ प्रेकिट्स¹³ की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि ऊपर उल्लेखित फसलों में नई किस्में/हाईब्रिड, अन्य कृषि संस्थाओं और निजी क्षेत्र में विकसित की जा चुकी थी। उदाहरणार्थ चावल की 46 हाईब्रिड किस्में वाणिज्यिक खेती हेतु देश में जारी की जा चुकी थी जिनमें से 29 किस्में सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा जारी की गई थी और चावल की शेष 17 किस्में निजी क्षेत्र द्वारा विकसित एवं जारी की गई। यद्यपि, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का, इसकी स्थापना से ही चावल की हाईब्रिड किस्में विकसित करने में कोई योगदान नहीं था। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि प्रजनक के सभी पद वर्ष 2009-14 के दौरान भरे हुए थे।

हाईब्रिड किस्में विकसित नहीं किये जाने सम्बन्धी तथ्यों को स्वीकारते हुए सरकार ने अवगत कराया कि मक्का की 22 हाईब्रिड किस्में प्रक्रियाधीन हैं और 2-3 हाईब्रिड किस्में आगामी दो-तीन वर्षों में जारी की जानी है। कपास परियोजनाओं के सम्बन्ध में अवगत कराया कि बाँसवाड़ा केन्द्र द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे थे।

¹³ एक किताब जिसमें सभी विकसित किस्में/हाईब्रिड वर्णित होती है।

2.1.7.2 कपास परियोजना में अधिक उत्पादन वाली किस्मों की धीमी प्रगति

वर्ष 1999 में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर की स्थापना के साथ ही अखिल भारतीय समन्वित कपास उन्नत परियोजना केन्द्र, बांसवाड़ा को नये विश्वविद्यालय में स्वतन्त्र उपकेन्द्र का दर्जा देकर क्रमोन्नत किया। यह केन्द्र कृषि अनुसंधान केन्द्र, बांसवाड़ा में कार्यरत था जो ‘आर्द्र दक्षिणी मैदान क्षेत्र’ का अनुसंधान केन्द्र है जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमन्द, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा एवं सिरोही जिले सम्मिलित हैं।

अखिल भारतीय समन्वित कपास उन्नत परियोजना का मेन्डेट एवं उद्देश्य सिंचित/वर्षाजित स्थिति में दोहरी फसल पद्धति के लिये कपास की उपयुक्त किस्म की पहचान/विकसित करना, जैविक कपास उत्पादन हेतु तकनीकी विकसित करना, कीट नाशक प्रबन्धन का विस्तार एवं वैधीकृत मोड्यूल्स एवं पद्धतियां विकसित करना, बी.टी. एवं बी.टी. रहित कपास हेतु कीट नाशक प्रबन्धन तकनीकी विकसित कर अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के माध्यम से किसानों को तकनीकी हस्तान्तरित करना था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में ज्ञात हुआ:

- कि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सेवा क्षेत्र के साथ-साथ बांसवाड़ा जिले की कपास उत्पादकता राज्य उत्पादकता से कम थी जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 6: कपास उत्पादकता का स्तर

(किलोग्राम प्रति हैक्टर)

वर्ष	राजस्थान राज्य की उत्पादकता	विश्वविद्यालय सेवा क्षेत्र की उत्पादकता	बांसवाड़ा जिले में उत्पादकता
2009-10	513	230	300
2010-11	434	451	382
2011-12	548	513	355
2012-13	534	640	337
2013-14	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

- यह देखा गया कि जहां 2012-13 में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सेवा क्षेत्र में कपास की उत्पादकता राज्य उत्पादकता से 106 किलोग्राम प्रति हैक्टर अधिक थी, यह वर्ष 2009-10 एवं 2011-12 के दौरान राज्य उत्पादकता से 35 से 283 किलोग्राम प्रति हैक्टर कम थी। बांसवाड़ा जिले में जहां परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा था, उत्पादकता वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान राज्य उत्पादकता के मुकाबले में 52 एवं 213 किलोग्राम के मध्य प्रति हैक्टर कम थी। कम उत्पादकता यह दर्शाती है

कि अखिल भारतीय समन्वित कपास उन्नत परियोजना ने अधिक उत्पादन वाली किस्में विकसित करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया।

- अखिल भारतीय समन्वित कपास उन्नत परियोजना, बांसवाडा द्वारा दो किस्में यथा 2001 में वागड कल्याण और 2005 में प्रतापकापी-1 विकसित की गई। इसके पश्चात कोई किस्म विकसित नहीं की गई थी। यह भी पाया गया कि वर्ष 2009-14 के दौरान वागड कल्याण एवं प्रतापकापी-1 को जिले के साथ-साथ महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सेवा क्षेत्र में किसी भी कृषक द्वारा नहीं अपनाया गया।
- यद्यपि इस परियोजना में वर्ष 2009-14 के दौरान ₹ 2.26 करोड व्यय किये गये, फिर भी कपास को कोई नई किस्म विकसित नहीं की गई थी।

सरकार ने उत्तर में अवगत कराया कि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सेवा क्षेत्र मुख्यतः वर्षा आधारित है एवं संसाधनों से गरीब जनजाति किसानों के द्वारा खेती किया जाता है। यह भी कहा गया कि वर्षा का पूर्वानुमान नहीं लगाया जाना भी क्षेत्र में कम उत्पादकता का कारण रहा।

2.1.7.3 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत मूँगफली परियोजना

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मूँगफली पर एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना संचालित की गई थी जिसके तहत मूँगफली का उत्पादन किया गया था। यह पाया गया कि वर्ष 2009-13 के दौरान प्रताप मूँगफली (पी.एम.-1), पी.एम.-2 एवं प्रतापराज मूँगफली (पी.आर.एम.)-5 के प्रजनक बीज उत्पादन के 250 किवन्टल लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक उत्पादन केवल 44.20 किवन्टल था जिससे 205.80 किवन्टल (82 प्रतिशत) प्रजनक बीज की कमी रही। आगे, पी.आर.एम.-5 के प्रजनक बीज की वास्तविक उत्पादकता अधिसूचना हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव (फरवरी 2011) में दर्शायी गई मात्रा (खरीफ में 16-22 किवन्टल प्रति हैक्टर एवं ग्रीष्म में 24-28 किवन्टल प्रति हैक्टर) के विरुद्ध बहुत कम (शून्य से 3.33 किवन्टल प्रति हैक्टर) थी।

2.1.7.4 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत ज्वार उन्नत परियोजना

राजस्थान कृषि महाविद्यालय के प्रकाशन के अनुसार ज्वार की विभिन्न किस्मों की संभावित औसत उपज 25 से 45 किवन्टल प्रति हैक्टर के मध्य थी। ज्वार की संभावित औसत उपज के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि गत पांच वर्षों में कृषि अनुसंधान केन्द्र, उदयपुर के अधीन राजस्थान कृषि महाविद्यालय फार्म में ज्वार के बीजों की वास्तविक उत्पादकता 2.17 से 13.49 किवन्टल प्रति हैक्टर थी जो कि

राजस्थान कृषि महाविद्यालय द्वारा संभाव्य औसत उत्पादन के विरुद्ध बहुत कम थी।

सरकार ने अवगत कराया कि केन्द्र पर विपरीत मौसम परिस्थितियों के अलावा शूट फ्लाई की प्रचण्डता एवं फोलियर रोगों की वजह से संभावित उत्पादन प्रभावित हुआ। यह परियोजना की उपयुक्तता पर प्रश्न उठाता है क्योंकि सभी पांचों वर्षों में बीजों का उत्पादन कम था।

2.1.8 अन्य कार्यक्रम/गतिविधियाँ

2.1.8.1 बीज उत्पादन

बीजों के अनके प्रकार होते हैं यथा नाभिकीय बीज¹⁴, प्रजनक बीज¹⁵, आधार बीज¹⁶ एवं प्रमाणिक बीज¹⁷। अभियांत्रिकी कृषि फार्म, कोटा द्वारा नाभिकीय एवं प्रजनक बीज उत्पादित किये गये। आधार बीज एवं प्रमाणिक बीज कृषि अनुसंधान केन्द्र द्वारा उत्पादित किये गये। नाभिकीय एवं प्रजनक बीजों के उत्पादन के पश्चात राज्य के अन्य उत्पादन केन्द्रों जैसे राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड एवं अन्य राज्यों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निर्देश के अनुसार आपूर्ति किये गये।

(i) प्रजनक बीजों का उत्पादन

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग के बीज प्रभाग द्वारा संबंधित निदेशालयों के माध्यम से नाभिकीय बीज एवं प्रजनक बीज उत्पादन की मात्रा, संबंधित उत्पादन केन्द्रों को आवंटित की जाती है। अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित कमियां दृष्टिगत हुईः

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किये गये आवंटन के विरुद्ध प्रजनक बीजों के उत्पादन में, सोयाबीन में वर्ष 2009-13 में 743.09 किवन्टल, गेहूँ में वर्ष 2009-10 के दौरान 280.30 किवन्टल और चने में वर्ष 2009-11 के दौरान 183.95 किवन्टल की कमी थी।

सरकार ने उत्तर में अवगत कराया कि नाभिकीय बीजों की सीमित उपलब्धता के कारण विभिन्न किस्मों के प्रजनक बीजों का उत्पादन कम रहा। उत्तर विश्वसनीय

¹⁴ मूल बीज जो प्रथम बार पौध प्रजनक द्वारा उत्पादित किया जाता है।

¹⁵ यह वह बीज है जो नाभिकीय बीज की संतति से प्राप्त किया जाता है। यह बीज संबंधित फसल के प्रजनक की सीधी देखरेख में होता है। यह बीज आनुवंशिक एवं भौतिक रूप से शत-प्रतिशत शुद्ध होता है।

¹⁶ यह बीज नाभिकीय या प्रजनक के बीजों से प्राप्त किया जाता है। यह राज्य सरकार के बीज गुणन फार्म या कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा उत्पादित किया जाता है। यह उतना शुद्ध नहीं होता है जितना नाभिकीय और प्रजनक बीज होते हैं।

¹⁷ यह बीज पंजीकृत/आधार बीज की संतति है।

नहीं है क्योंकि नाभिकीय बीजों की उपलब्धता की समस्या के बारे में कृषि एवं सहकारिता विभाग को समय पर अवगत कराया जाना चाहिये था।

(ii) गुणवत्ता युक्त सब्जियों के बीजों के उत्पादन का अभाव

यांत्रिकी कृषि फॉर्म, कोटा द्वारा सब्जियों के गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन बढ़ाने हेतु एक कार्य योजना तैयार की गई (2008-09)। कार्ययोजना के अनुसार टमाटर एवं मिर्च के विकसित बीजों का प्रथम वर्ष (2009-10) में उत्पादित किया जाना था, द्वितीय वर्ष में सब्जी के बीजों का प्रसंस्करण, श्रेणीकरण एवं पैकेजिंग इकाई की स्थापना की जानी थी एवं तृतीय वर्ष में बिक्री काउन्टर की स्थापना का प्रावधान था।

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर ने गुणवत्तायुक्त सब्जियों के बीजों का उत्पादन बढ़ाने हेतु हाईटेक ग्रीन पॉली हाउस निर्माण हेतु राशि ₹ 11.80 लाख स्वीकृत की (फरवरी 2009)। बूंद-बूंद सिंचाई प्रणाली सहित कार्य, राशि ₹ 11.80 लाख का व्यय करके पूर्ण किया गया (दिसम्बर 2010/जून 2011)।

यह पाया गया कि ग्रीन पॉली-हाउस की स्थापना दिसम्बर 2010 में की गई थी, यांत्रिक कृषि फार्म, कोटा द्वारा सब्जियों के बीजों का उत्पादन नहीं किया गया और वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान केवल सब्जियां उत्पादित की गईं।

यांत्रिक कृषि फॉर्म ने अवगत कराया (मई 2014) कि राजकीय संस्थाओं एवं निजी कम्पनियों से मांग प्राप्त होने पर बीजों का उत्पादन किया जा सकेगा। उत्तर इस सन्दर्भ में देखा जाना चाहिये कि ग्रीन पॉली-हाउस का उद्देश्य गुणवत्तायुक्त सब्जियों के बीजों का उत्पादन करना था न कि केवल सब्जियों का उत्पादन करना।

2.1.8.2 ‘राष्ट्रीय कृषि विकास योजना’ के तहत योजना का क्रियान्वयन

मुख्य फसलों/फलदार पौधों की उत्पादकता बढ़ाने के लिये ढांचागत सुदृढीकरण हेतु ‘राष्ट्रीय कृषि विकास योजना’ के तहत एक कार्ययोजना, कृषि अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, उदयपुर द्वारा तैयार की गई थी जिसके उद्देश्य थे:

- यथास्थान एवं बाह्य संरक्षण तकनीकों के माध्यम से वर्षाजल संग्रहण करना और संग्रहित जल को पुनःचक्रित करना।
- महत्वपूर्ण फलों/फसलों के बीजों/गुणवत्तायुक्त पौध सामग्री का फैलाव (गुणन) करना।
- वर्षा जल संग्रहण, पौध तैयारी, फलोद्यान प्रबन्धन और बीज उत्पादन तकनीकों के क्षेत्र में मानव संसाधनों का विकास करना।

योजना के तहत बजट अनुमान राशि ₹ 4.33 करोड़ के विरुद्ध कार्य की धीमी प्रगति के कारण केवल राशि ₹ 2.20 करोड़ ही जारी की गई, इनमें से ₹ 20 करोड़ सिविल कार्यों पर एवं ₹ 20 लाख आकस्मिकताओं पर व्यय की गई। यह

भी ध्यान में आया कि सिविल कार्यों पर हुए व्यय में से ₹ 18.43 लाख वैज्ञानिकों के हॉस्टल के नवीनीकरण कार्य पर, योजना में प्रावधान न होते हुए भी, व्यय किये गये। कार्य योजना में उल्लेखित बहुत से अन्य कार्य या तो प्रारम्भ ही नहीं किये अथवा पूर्ण रूप से उपलब्धि हासिल नहीं की गई, जिनका विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया:

तालिका 7: अन्य कार्यों का विवरण जो या तो शुरू नहीं किये गये अथवा पूर्ण नहीं किये गये

क्र. सं.	कार्य योजना के अनुसार किये जाने वाला कार्य	क्षेत्र/मात्रा जो शामिल की जानी थी	वास्तविक रूप से किया गया कार्य	कमियां (प्रतिशत में)
1	सब्जियों की फसल के बीज उत्पादन	4 हैक्टर	शून्य	100
2	बागवानी फसलों का फलोद्यान स्थापित करने के लिये पौधारोपण	60-100 हैक्टर	शून्य	100
3	महत्वपूर्ण सब्जियों/कन्द फसलों के उन्नत बीज उत्पादन हेतु 100 हैक्टर क्षेत्र शामिल करना (अदरक एवं हल्दी)	4 हैक्टर	शून्य	100
4	वर्षा जल संग्रहण संरचना, जिनकी भण्डारण क्षमता 35000 घनमीटर हो।	4	1	75
5	क्षेत्र के किसानों हेतु फलदार पौधों की पौध तैयार करना।	1,00,000	45,000	55
6	400 किसान प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों में केम्पस प्रशिक्षण देना	1,200	275	77.08

सरकार ने अवगत कराया कि दीवार निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को ₹ 60 लाख उपलब्ध कराये थे। यह कार्य कुछ विधिक विवाद के कारण निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, द्वितीय किश्त के रूप में राशि ₹ एक करोड़ पाँली-हाउस के निर्माण, किसानों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण हॉल एवं डारमेट्री आदि के निर्माण हेतु प्राप्त हुए जिसका निर्माण अन्तर्राष्ट्रीय बागवानी नवाचार एवं प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से कराया गया। उसका काम दोषपूर्ण पाया गया जिसकी मरम्मत करानी पड़ी। आगे यह भी बताया कि प्रारम्भिक स्तर के कार्य में विलम्ब के कारण आगे की गतिविधियों में देरी हुई और शेष राशि जारी नहीं की गई। पर्याप्त बजट के अभाव एवं योजना के प्रारम्भ में देरी के कारण केवल एक वर्षा-जल संग्रहण संरचना का ही निर्माण किया गया। आगे, अच्छी किस्म की उपजाऊ भूमि की अनुपलब्धता के कारण सब्जी के बीजों का उत्पादन शुरू नहीं किया जा सका।

उत्तर को इन तथ्यों के सन्दर्भ में देखा जाना चाहिये कि योजना के प्रस्तुतीकरण से पूर्व उपयुक्त भूमि का चयन कर लिया जाना चाहिये था। इसके अतिरिक्त,

फलोद्यान, नर्सरी, पॉली-हाउस शेड एवं नेट हाउस के निर्माण का उचित पर्यवेक्षण किया जाना चाहिये था जिससे दोषपूर्ण निर्माण एवं विलम्ब को टाला जा सके।

2.1.9 सारांश एवं अनुशंसाएं

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर ने भावी रणनीति की रूपरेखा आरेखित करते हुए विजन डॉक्यूमेन्ट तैयार किया। इसके अतिरिक्त, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर की गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए पंचवर्षीय योजना भी तैयार की गयी। विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए वार्षिक योजनाएँ भी तैयार की गयी थी। तथापि, मार्गदर्शन हेतु अनुशंसाओं के साथ-साथ विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के कुछ मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

- जब वार्षिक योजनाएँ तैयार की गई तब प्राथमिकताओं, समयसीमा और परिणामों के आंकलन के सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश नहीं थे। यह भी पाया गया कि अनुसंधान एवं प्रसार शिक्षा निदेशालयों द्वारा तैयार की गई वार्षिक योजनाओं के अनुमोदन में भी विलम्ब हुआ था।

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायें कि वार्षिक योजनाएँ समय पर अनुमोदित हो ताकि लक्ष्य एवं अन्य परिणामों के आंकलन से कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं अन्य क्षेत्रीय इकाइयों को समय पर अवगत कराया जा सके तथा विभिन्न गतिविधियों की प्रगति का सुगमतापूर्वक अनुश्रवण किया जाये।

- अनेक मामलों में, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन पुरानी किस्मों के बीजों का उपयोग करते हुए पानी एवं मिट्टी के समुचित विश्लेषण के बिना निष्पादित किये गये। अनेक कार्यक्रमों के तहत प्रथम पंक्ति प्रदर्शनों की कमी थी।

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायें कि कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा पानी, मिट्टी एवं अन्य आवश्यक विश्लेषण के बाद फसलों की नवीनतम किस्मों के लिए अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन सम्पादित किये जायें। दलहनों, तिलहनों, खाद्यानों आदि में कम हुए अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों का भी विश्लेषण किया जायें तथा सुधारात्मक उपाय करें ताकि विस्तार गतिविधियों का लाभ अधिकतम किसानों को मिल सके।

- कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा फसल उत्पादन, पशु संवर्धन एवं बागवानी में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। तथापि, विभिन्न ऑन-केम्पस,

ऑफ-केम्पस, व्यवसायिक एवं राजस्थान कौशल एवं आजिविका विकास निगम के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कम किया गया।

विश्वविद्यालय, अधिकतम कौशल विकास के लिए प्रशिक्षणार्थियों की सहभागिता में सुधार हेतु उचित उपचारात्मक उपायों को प्रेरित करें।

- बांसवाड़ा में अधिक उपज वाली कपास की किस्मों की उत्पादकता, राज्य की उत्पादकता से कम थी, यद्यपि, अखिल भारतीय समन्वित कपास उन्नत परियोजना वर्ष 1999 से संचालित थी। इसी प्रकार, ज्वार और मूंगफली पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के सम्बन्ध में राजस्थान कृषि महाविद्यालय द्वारा संभावित औसत उत्पादन से राजस्थान कृषि महाविद्यालय फॉर्म पर बीजों की उत्पादकता बहुत कम थी। विभिन्न फसलों में प्रजनक बीज उत्पादन में भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध कमी थी।

यह अनुशंसा की जाती है कि विभिन्न कार्यक्रमों/परियोजनाओं की प्रगति एवं प्रभावशीलता के मूल्यांकन हेतु अनुसंधान निदेशक द्वारा कठोर तन्त्र विकसित किया जायें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा उत्पादन के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये नाभिकीय एवं प्रजनक बीजों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जायें।

अध्याय III

अनुपालना लेखापरीक्षा

वन विभाग

3.1 रणथम्भौर एवं सरिस्का बाघ रिजर्वस् के संवेदनशील बाघ आवास स्थलों में स्थित ग्रामों का पुनःस्थापन

परिचय

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना ‘बाघ परियोजना’ (योजना) अप्रैल 1973 में आरम्भ की गई थी। योजना का उद्देश्य वैज्ञानिक, आर्थिक, सौन्दर्यपरक, सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिकी मूल्यों के लिये भारत में बाघों की व्यवहार्य जनसंख्या बनाये रखना सुनिश्चित करने तथा लोगों के लाभ, शिक्षा एवं खुशियों के लिए जैविक महत्ता के क्षेत्रों का राष्ट्रीय धरोहर के रूप में हर समय संरक्षण करना था। भारत सरकार इस योजना के माध्यम से राज्यों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराती है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 यह अपेक्षा करता है कि बाघों/वन्यजीवों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए, बाघ रिजर्वस् के मुख्य या संवेदनशील बाघ/वन्यजीव आवास स्थलों¹ व संरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अधिकारों को संशोधित किया जाये और उन्हें पुनःस्थापित किया जाये।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जो कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अन्तर्गत एक वैधानिक निकाय है, ने फरवरी 2008 में ग्राम पुनःस्थापन योजना तैयार करने के प्रारूप सहित मुख्य/संवेदनशील बाघ आवास स्थलों के लिये चल रही योजना ‘बाघ परियोजना’ के क्रियान्वयन के लिए निर्देशों का समूह जारी किया गया। बाघ रिजर्व के मुख्य/संवेदनशील बाघ आवास स्थलों में वन्य जीवों के सुरक्षित आवास निर्धारण और एक निश्चित समय सीमा में ग्रामवासियों के विस्थापन/पुनर्वास हेतु निम्नलिखित विकल्पों/मानकों सहित एक नए पैकेज का प्रस्ताव किया गया था जो कि वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के विस्थापन में होने वाली कठिनाइयों/अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुये पर्याप्त रूप से राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनःस्थापन नीति, 2007 का अनुपालन करता है।

¹ बाघ और वन्यजीव के संरक्षण के उद्देश्य से सुरक्षित आवास हेतु अपेक्षित क्षेत्र।

विकल्प-I यदि परिवार, वन विभाग की किसी प्रकार की पुनर्वास/पुनःस्थापन प्रक्रिया में शामिल न होने का विकल्प चुने तो परिवार को पूरी पैकेज राशि ₹ 10 लाख प्रति परिवार का भुगतान।

विकल्प-II वन विभाग द्वारा संरक्षित बाघ रिजर्व क्षेत्र से ग्रामों का पुनःस्थापन/पुनर्वास करना।

विकल्प-II के मामले में ₹ 10 लाख प्रति परिवार की दर से निम्नलिखित पैकेज प्रस्तावित किया गया था:

क	कृषि भूमि लेना और विकास (2 हैक्टर)	कुल पैकेज का 35 प्रतिशत
ख	अधिकारों का निपटारा	कुल पैकेज का 30 प्रतिशत
ग	आवास भूमि और आवास निर्माण	कुल पैकेज का 20 प्रतिशत
घ	प्रोत्साहन	कुल पैकेज का 5 प्रतिशत
ड.	परिवार को देय सामुदायिक सुविधा (पहुंच रोड, सिंचाई, पेयजल, सफाई, बिजली, दूर-संचार, सामुदायिक भवन, पूजा हेतु धार्मिक स्थल, कब्रिस्तान/शवदाह ग्रह स्थल)	कुल पैकेज का 10 प्रतिशत

पुनःस्थापन प्रक्रिया की निगरानी/क्रियान्वयन जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति और राज्य स्तरीय निगरानी समिति द्वारा किया जाना था। पुनःस्थापन स्वैच्छिक था तथा केवल लोगों की सहमति पर ही किया जाना था। पुनःस्थापन प्रक्रिया खुली रहेगी क्योंकि पुनःस्थापन प्रक्रिया राज्यों के कार्य निष्पादन पर निर्भर करेगी। सम्बन्धित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला पुनःस्थापन समिति की मीटिंग² में मुआवजा भुगतान एवं विस्थापन का तरीका निर्धारित किया गया था। क्षेत्र निदेशक द्वारा ग्राम पुनःस्थापन योजना प्रधान वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य सरकार के माध्यम से वित्तीय सहायता हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को प्रस्तुत की जानी थी।

राजस्थान राज्य में दो बाघ रिजर्व, रणथम्भौर बाघ रिजर्व एवं सरिस्का बाघ रिजर्व हैं। रणथम्भौर बाघ रिजर्व के लिए 1113.36 वर्ग किलोमीटर एवं सरिस्का बाघ रिजर्व के लिए 881.11 वर्ग किलोमीटर का कुल मुख्य क्षेत्र अधिसूचित किया गया है जो सवाई माधोपुर, करौली और अलवर जिलों में फैला हुआ है। संरक्षित क्षेत्रों में 94 ग्राम (रणथम्भौर बाघ रिजर्व: 66 और सरिस्का बाघ रिजर्व: 28) स्थित हैं जिनका विस्थापन किया जाना था।

2008-14 के दौरान रणथम्भौर बाघ रिजर्व एवं सरिस्का बाघ रिजर्व के संवेदनशील बाघ आवास स्थलों में स्थित ग्रामों के पुनःस्थापन की प्रगति की जांच कर पता लगाने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, जयपुर, उप वन संरक्षक, रणथम्भौर, करौली एवं सरिस्का कार्यालयों की लेखापरीक्षा (मार्च से

² सरिस्का बाघ रिजर्व में अगस्त 2008 और रणथम्भौर बाघ रिजर्व में फरवरी 2009

मई 2014) की गई। लेखापरीक्षा जांच के परिणाम सरकार को सितम्बर 2014 में जारी किये गये तथा उनके उत्तर (दिसम्बर 2014) को प्रकरणों को अंतिम रूप देते समय सम्मिलित कर लिया गया है।

लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आयी मुख्य लेखापरीक्षा आपत्तियों को आगे के अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है।

3.1.1 रणथम्भौर बाघ रिजर्व और सरिस्का बाघ रिजर्व में स्थित ग्रामों का विस्थापन

संशोधित दिशानिर्देशों (फरवरी 2008) के पैरा 4.9 में कहा गया कि बन्यजीवों के सुरक्षित आवास और बाघ रिजर्व के मुख्य/संवेदनशील बाघ आवास स्थलों से गांवों का विस्थापन एक समय सीमा रेखा में निर्धारित किया जाना चाहिए। बाघ परियोजना हेतु बाद में अक्टूबर 2012 में जारी विस्तृत दिशानिर्देशों में भी तय किया गया था कि सुरक्षित आवास व संवेदनशील बाघ आवास स्थलों से ग्रामों का विस्थापन एक समय सीमा रेखा में बेहतर विस्थापन पैकेज दिया जाकर निर्धारित किया जाना चाहिये।

ग्राम विस्थापन योजनाओं पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा आयोजित मीटिंग (नवम्बर 2010) में रणथम्भौर बाघ रिजर्व के 66 ग्रामों की मार्च 2013-14 तक की समय सीमा रेखा की विस्थापन योजना और सरिस्का बाघ रिजर्व के 28 ग्रामों की 2015-16 तक की समय सीमा रेखा की विस्थापन योजना तैयार कर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को प्रस्तुत 94 ग्रामों की समय सीमा रेखा के विरुद्ध केवल 31 ग्रामों (रणथम्भौर बाघ रिजर्व के 19 और सरिस्का बाघ रिजर्व के 12) की वर्षावार विस्थापन योजना उप बन संरक्षक ने तैयार कर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को प्रस्तुत की, इनमें से 20 ग्रामों की विस्थापन योजना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 2008-09 से 2013-14 की अवधि के लिये अनुमोदित की गई। मार्च 2014 तक विस्थापित ग्रामों की स्थिति का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 8: विस्थापित ग्रामों की स्थिति

टाइगर रिजर्व	विस्थापन हेतु स्वीकृत ग्रामों/परिवारों की संख्या		पूर्णतया विस्थापित ग्रामों/परिवारों की संख्या		विस्थापित नहीं किये गये ग्रामों/ परिवारों की संख्या	
	ग्राम	परिवार	ग्राम	परिवार	ग्राम	परिवार
रणथम्भौर बाघ रिजर्व	13	1930	4	268	9	609
सरिस्का बाघ रिजर्व	7	644	2	136	5	192
योग	20	2574	6	404	14	801

यह देखा गया कि विस्थापित किये जाने वाले 20 ग्रामों में से केवल 6 ग्राम³ (30 प्रतिशत) ही मार्च 2014 तक पूर्णतया विस्थापित किये गये। शेष 14 ग्राम, जिनमें 801 परिवार सम्मिलित थे, (एक ग्राम⁴ 2008-09 से, नौ ग्राम⁵ 2009-10 और चार ग्राम⁶ 2010-11 से) दिसम्बर 2014 में विस्थापन की प्रक्रिया में थे।

यदि इसी गति से प्रगति जारी रहती है तो रणथम्भौर बाघ रिजर्व और सरिस्का बाघ रिजर्व में स्थित 94 ग्रामों के विस्थापन में कई वर्ष लगेंगे। उप वन संरक्षक, सरिस्का बाघ रिजर्व ने सितम्बर 2012 में बताया कि धीमी प्रगति का कारण, अलवर के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होने से कृषि भूमि की दरों में वृद्धि होना है। परिणामस्वरूप, सरिस्का बाघ रिजर्व में अधिकांश परिवार विकल्प II के तहत भूमि पैकेज की मांग कर रहे थे और सरकार प्रत्येक परिवार को भूमि उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं थी। इसके अलावा, प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिये जाने और खनन पट्टे स्वीकृत करने की सलाह भी अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन द्वारा दी गई थी। यह भी सलाह दी गई थी कि विस्थापन के बाद की सुविधायें जैसे पीने का पानी, सड़क, इत्यादि दिये जाने हेतु राज्य स्तर से परिपत्र जारी किया जाना चाहिए। रणथम्भौर बाघ रिजर्व के सम्बन्ध में विस्थापन की धीमी प्रगति का कारण, अप्रैल से जून के मध्य निधि का उपलब्ध नहीं होना, (जब किसानों के पास खेती का काम नहीं होने के कारण विस्थापन हेतु उपयुक्त समय होता है), परिवार की परिभाषा, वयस्क पुत्र की आयु इत्यादि का स्पष्ट नहीं होना माना गया।

यह भी देखा गया कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों में सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां सम्मिलित नहीं की गई जिससे सम्बन्धित प्राधिकारी प्रेरणादायक कार्य करने के प्रति सीमित रहे। निगरानी की कमी व उच्च स्तर से निर्देशों के अभाव में पुनःस्थापन कार्य बाधित रहा। इस प्रकार, योजनान्तर्गत बाघों को सुरक्षित क्षेत्र उपलब्ध कराने का उद्देश्य विफल रहा।

सरकार ने बताया कि ग्राम सभा की सामान्य सहमति प्राप्त किये जाने के बाद ही निधियां प्राप्ति हेतु ग्राम पुनःस्थापन योजना, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को प्रस्तुत की गयी तथा व्यक्तिगत परिवारों की सहमति, ग्राम पुनःस्थापन योजना प्रस्तुत करने के बाद ही ली गयी क्योंकि, परिवारों द्वारा सहमति देने के तुरन्त बाद पैकेज राशि की मांग की जाती है। उत्तर दिशानिर्देशों के पैरा संख्या 6.1.2.5. के अनुरूप नहीं था जिसमें उल्लेखित है कि निधियां प्राप्त करने हेतु ग्राम पुनःस्थापन योजना, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को भेजने से पहले ग्राम सभा और प्रभावित परिवारों की लिखित में सहमति ली जानी चाहिए।

³ इंडाला, माचनकी, मोरढूंगरी, पादड़ा (रणथम्भौर बाघ रिजर्व), रोटक्याला, और उमरी (सरिस्का बाघ रिजर्व)

⁴ काकवाड़ी

⁵ भीड़, भीमपुरा, डांगरा, धोधाकी, हिंदवाड़, कालीभाट, कथूली, मोटोरियाकी और मुडेंरहेरी

⁶ डाबली, लिलून्डा, करास्का और सुकोला

3.1.2 निधियां जारी होना और उपयोग

राज्य सरकार द्वारा 31 ग्रामों के लिये प्रस्तुत विस्थापन योजना में से, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने 2008 से 2014 के दौरान रणथम्भौर बाघ रिजर्व और सरिस्का बाघ रिजर्व के संवेदनशील बाघ आवास स्थलों से 20 ग्रामों के 2574 परिवारों के विस्थापन हेतु राशि ₹ 192.62 करोड़ स्वीकृत किये। जारी राशि ₹ 181.71 करोड़ के विरुद्ध राशि ₹ 165.84 करोड़ व्यय किये गये। 2008-09 से 2013-14 के दौरान छः ग्राम पूर्णतया विस्थापित किये गये और शेष ग्राम विस्थापन की प्रक्रिया में थे।

2008-09 से 2013-14 के दौरान ग्रामों के विस्थापन हेतु स्वीकृत राशि के विरुद्ध बाघ रिजर्वस् द्वारा उपयोग की गई निधियों की स्थिति नीचे तालिका में दी गयी है।

तालिका 9: निधियों की स्वीकृत और उपयोग की स्थिति

(₹ करोड़ में)

बाघ रिजर्व	स्वीकृत राशि	जारी राशि	व्यय राशि	उपयोग नहीं की गई राशि	जारी राशि से उपयोग नहीं की गयी राशि की प्रतिशतता
रणथम्भौर बाघ रिजर्व	136.30	128.64	116.47	12.17	9.46
सरिस्का बाघ रिजर्व	52.32	53.07	49.37	3.70	6.97
योग	192.62	181.71	165.84	15.87	8.73

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार।

यह देखा गया कि 2008-09 से 2013-14 के दौरान राशि ₹ 15.87 करोड़ का उपयोग नहीं किया जा सका। इसके अलावा, अनुमोदित वार्षिक योजना परिचालन अनुसार राज्य सरकार द्वारा विस्थापन कार्य निष्पादित नहीं किये जाने के कारण राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने स्वीकृत राशि ₹ 192.62 करोड़ में से ₹ 10.91 करोड़ जारी नहीं किये।

सरकार ने बताया कि मार्च 2014 के अन्त में अनुपयोगी शेष राशि की प्रतिशतता सरिस्का बाघ रिजर्व में 0.83 प्रतिशत और रणथम्भौर बाघ रिजर्व में 8.07 प्रतिशत था तथा विस्थापन योजना की स्वैच्छिक प्रकृति के मध्यनजर, वित्तीय प्रगति संतोषजनक थी। तथ्य यह है कि इस अवधि के दौरान केवल छः ग्रामों का ही पूर्णतया विस्थापन किया गया तथा शेष 14 ग्रामों के विस्थापन का उद्देश्य, जिनके लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विस्थापन योजना अनुमोदित की गई थी, काफी हद तक पूर्ण नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त, वार्षिक योजना परिचालन की अन्य मदों में काम में ली गई राशि का विस्थापन के लिये अधिक परिवारों के प्रोत्साहन में उपयोग किया जा सकता था।

3.1.3 भुगतान प्राप्त करने के बाद भी परिवारों द्वारा ग्रामों/घरों को खाली नहीं करना

रणथम्भौर बाघ रिजर्व और सरिस्का बाघ रिजर्व की जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की मीटिंग (अगस्त 2008 और फरवरी 2009) में तय किया गया था कि विकल्प-I के तहत नकद पैकेज की सम्पूर्ण राशि तीन किश्तों में निम्नांकित ढंग से दी जावेगी:

- पात्र परिवार की सम्पति दस्तावेजों की प्रतिलिपि, लिखित सहमति शापथ-पत्र के साथ प्राप्त होने पर पहली किश्त का भुगतान किया जावेगा।
- भूमि क्रय का साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद दूसरी किश्त का भुगतान किया जावेगा।
- सम्पति अभ्यर्पण व घर खाली करने के बाद तीसरी किश्त का भुगतान किया जावेगा।

यह भी तय किया गया कि पहली किश्त का भुगतान प्राप्त करने के एक से दो माह में परिवार अपने घर खाली कर देंगे एवं ग्राम छोड़ देंगे।

यह देखा गया कि 2009-10 से 2013-14 के दौरान एक से तीन किश्तों का भुगतान प्राप्त करने के बाद भी, 115 परिवारों द्वारा नीचे दी गई तालिका के विवरणानुसार मार्च 2014 तक अपने घर खाली नहीं किये गये:

तालिका 10: अपने घरों को खाली नहीं करने वाले परिवारों का विवरण

किश्तें	परिवारों की संख्या जिन्होंने किश्त का भुगतान प्राप्त कर लिया परन्तु अपने घरों को खाली नहीं किया					योग	रणथम्भौर बाघ रिजर्व	सरिस्का बाघ रिजर्व	राशि (₹ करोड़ में)
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14				
पहली	38	16	35	21	05	115	80	35	2.40
दूसरी	12	12	06	12	05	47	31	16	2.36
तीसरी	-	-	-	01	-	01	01	0	0.05
								योग	4.81

ऊपर की स्थिति प्रदर्शित करती है कि एक से चार वर्षों के व्यतीत होने के बाद भी, ₹ 4.81 करोड़ भुगतान प्राप्त करने वाले 115 परिवारों ने अपने घरों को खाली नहीं किया और अब तक (दिसम्बर 2014) बाघ रिजर्वस् में निवास कर रहे थे। यह देखा गया कि विस्थापन की शर्तों का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित परिवारों को विभाग द्वारा नोटिस जारी किये गये थे, परन्तु परिवार बाघ रिजर्वस् में लगातार रह रहे थे। इसके अलावा, भुगतान प्राप्ति के बाद ग्रामों को खाली नहीं करने वाले परिवारों से भुगतान की वसूली से सम्बन्धित स्पष्ट दिशानिर्देश ना तो राज्य सरकार ने और ना ही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने जारी किए।

सरकार ने उत्तर में बताया कि सरिस्का बाघ रिजर्व में परिवारों के शीघ्र विस्थापन के सभी प्रयास किये जा रहे थे। इसके आगे यह कहा गया कि विस्थापन प्रक्रिया स्वैच्छिक थी और भूमि के क्रय पर निर्भर थी, इस प्रक्रिया में कभी-कभी देरी होती है। परिवारों पर कोई भी कठोर कार्यवाही अविश्वास पैदा करेगी और विस्थापन प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव डालेगी। आगे, यह भी कहा गया कि जहां तक सम्भव हो, जल्दी खाली करने के लिये परिवारों को निरन्तर समझाया जा रहा है। उत्तर इस सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए कि विस्थापन की प्रक्रिया आपसी सहमति से निर्धारित नियमों एवं शर्तों पर प्रारम्भ की गई थी तथा जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की मीटिंग में यह निश्चित किया गया था कि प्रथम किश्त प्राप्ति के एक से दो माह के भीतर परिवारों द्वारा अपने घर खाली कर ग्राम छोड़ दिया जावेगा।

3.1.4 वयस्क पुत्र की पात्रता आयु निर्धारण की अलग-अलग व्याख्या

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने सभी राज्यों के मुख्य बन्यजीव प्रतिपालकों को सूचित किया (19 मार्च 2008) कि पुनर्वास और विस्थापन कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनःस्थापन नीति, 2007 में दी गयी परिवार की परिभाषा को अपनाया जाए। इस परिभाषा के तहत 'परिवार' में एक व्यक्ति उसका या उसकी पति/पत्नी, अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्रियां, नाबालिंग भाई, अविवाहित बहने, पिता, माता और उसके साथ रहने वाले अन्य सम्बन्धी, जो अपनी जीविका हेतु उस पर आश्रित हैं, शामिल हैं और इसमें एकल परिवार, जिसमें एक व्यक्ति उसका या उसकी पति/पत्नी और अवयस्क बच्चे, शामिल हैं। यद्यपि, 25 फरवरी 2008 के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र में उल्लेखित किया गया कि एक वयस्क पुत्र (18 वर्ष से ऊपर), चाहे उसकी वैवाहिक स्थिति कैसी भी हो, को योजना के तहत पैकेज की पात्रता हेतु अलग परिवार समझा जाये।

हमारी जांच में पाया गया कि पुरुष सदस्य, जो 18 वर्ष का हो चुका था, को 25 फरवरी 2008 के उपरोक्त पत्र के आधार पर सवाई माधोपुर जिले में पैकेज हेतु पात्र माना गया था जबकि करौली और अलवर जिलों में, पात्रता की आयु राजस्थान पुनर्वास एवं पुनःस्थापन नीति, 2001 के आधार पर 21 वर्ष ली गयी थी। यह राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पात्रता के मापदण्डों से मेल नहीं खाती थी। इस विरोधाभास ने करौली और अलवर जिलों के पात्र परिवारों/व्यक्तियों में असंतोष पैदा किया जिससे ग्रामों के विस्थापन पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

सरकार ने कहा कि सर्वेक्षण दल और जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की नियुक्ति जिला कलेक्टर द्वारा की जाती है जिसे पात्र परिवारों की वयस्क आयु निर्धारण का विवेकाधिकार है। अलवर और करौली जिलों में, इसे 21 वर्ष निर्धारित किया गया जबकि सवाई माधोपुर में, इसे 18 वर्ष निर्धारित किया गया। इसके अलावा यह भी कहा गया कि अलवर और करौली जिलों में वयस्क की आयु 21 वर्ष, राजस्थान पुनर्वास एवं पुनःस्थापन नीति, 2001 के अनुसार रखी गई थी। उत्तर विश्वसनीय नहीं था क्योंकि प्रभावित परिवारों में वयस्क की आयु अलग प्रकार से निर्धारित किये जाने के जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के विवेकाधिकार का ना तो दिशानिर्देशों में और ना ही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों में वर्णन है तथा राजस्थान पुनर्वास एवं पुनःस्थापन नीति, 2001 के प्रावधानों की जगह, राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनःस्थापन नीति, 2007 के प्रावधानों ने ले ली थी।

3.1.5 पात्र परिवार के पहचान की अंतिम तिथि का निर्धारण

राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनःस्थापन नीति, 2007 के अनुच्छेद 6.3 के अनुसार पात्र व्यक्ति और परिवार की पहचान हेतु आधार रेखा सर्वेक्षण संचालित किया जाना था। राज्य सरकार ने नवम्बर 2002 में निर्देश जारी किये कि विस्थापन पैकेज के लिए सर्वेक्षण तिथि ही अंतिम तिथि मानी जायेगी।

यह पता चला कि रणथम्भौर बाघ रिजर्व में पात्र परिवार की पहचान हेतु वास्तविक सर्वेक्षण तिथि स्वीकार की गई थी, जबकि सरिस्का बाघ रिजर्व में 31 मार्च 2008 अंतिम तिथि स्वीकार की गई थी। परिणामस्वरूप, व्यक्ति, जो 31 मार्च 2008 के बाद और सर्वेक्षण तिथि से पहले 21 वर्ष पूर्ण कर चुके थे, सरिस्का बाघ रिजर्व में पात्र नहीं माने गये थे।

सरकार ने कहा कि सरिस्का बाघ रिजर्व में, 31 मार्च 2008 अंतिम तिथि का निर्धारण शासन सचिव, वन ने 15 दिसम्बर 2009 को किया था। इसके अलावा कहा गया कि विस्थापन प्रक्रिया जारी थी, बीच में अंतिम तिथि में किसी बदलाव का विस्थापन की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ता। इसके अलावा कहा गया कि भविष्य में, नये ग्रामों के लिए सर्वेक्षण तिथि को ही अंतिम तिथि लिया जावेगा। उत्तर इस सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्णय, राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनःस्थापन नीति, 2007 के प्रावधानों के प्रतिकूल था।

3.1.6 विस्थापित परिवारों को निर्धारित से कम कृषि भूमि प्रदान करना

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों (फरवरी 2008) के अनुसार, विकल्प-II के मामले में, प्रत्येक परिवार को दो हैक्टर कृषि भूमि उपलब्ध करायी जानी थी। यदि इस प्रयोजनार्थ राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं हो तो परिभ्रांषित वन भूमि को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् उपयुक्त मंजूरी के बाद प्रत्यावर्तित कराया जायेगा।

यह देखा गया कि रणथम्भौर बाघ रिजर्व और सरिस्का बाघ रिजर्व में 204 परिवारों को प्रति परिवार केवल 1.6 हैक्टर कृषि भूमि उपलब्ध करायी गयी थी।

सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों (फरवरी 2008) में, प्रत्येक परिवार को 2 हैक्टर कृषि भूमि उपलब्ध कराये जाने की सलाह दी गयी थी, यह राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं था। उत्तर इस सन्दर्भ में देखा जाना चाहिये कि पहले के दिशानिर्देशों में स्पष्टतः विहित किया गया था कि विकल्प-II के मामले में प्रत्येक परिवार को 2 हैक्टर कृषि भूमि उपलब्ध करायी जावेगी।

3.1.7 पारिस्थितिकी विकास समितियों को निधियां ₹ 4.22 करोड़ का अनियमित हस्तान्तरण

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी अतिरिक्त दिशानिर्देश (नवम्बर 2011) का अनुच्छेद 6.2.1.7 यह उपबन्धित करता है कि विकल्प-II के तहत् प्रत्येक लाभार्थी को पैकेज की 20 प्रतिशत राशि का भुगतान आवास भूमि और आवास निर्माण के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आगे, अनुच्छेद 6.2.1.8 के तहत् प्रत्येक लाभार्थी/परिवार को कुल पैकेज की 5 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करायी जानी चाहिए। अनुच्छेद 6.3.1 के अनुसार अपेक्षित राशि प्रत्येक परिवार के एक संयुक्त बचत बैंक खाते में जमा करायी जानी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2002 में निर्धारित किया कि विकास कार्य पारिस्थितिकी विकास समितियों⁷ के माध्यम से क्रियान्वित कराये जायेंगे और निष्पादित कार्य का भुगतान, दरों की मूल सूची के अनुसार किया जावेगा। संभावित वार्षिक राशि की 15 प्रतिशत की दर से समितियों को अग्रिम भुगतान अनुज्ञात किया जाना था जिसे रनिंग बिलों से समायोजित किया जाना था।

हमारी जांच में पाया गया कि ₹ 4.22 करोड़ में से ₹ 2.59 करोड़, जो आवास भूमि और आवास निर्माण तथा प्रोत्साहन से सम्बन्धित थे, लाभार्थियों को भुगतान करने हेतु और ₹ 1.63 करोड़, विकास कार्यों के निष्पादन हेतु मार्च 2014 तक

⁷ पारिस्थितिकी विकास समिति का गठन प्रत्येक ग्राम में वन की सुरक्षा और विकास कार्य निष्पादन हेतु किया जाता है।

पारिस्थितिकी विकास समितियों के बचत बैंक खातों में हस्तान्तरित किये गये। विकास कार्यों के रनिंग बिल, क्षेत्र निदेशक के कार्यालय में मार्च 2014 तक प्राप्त नहीं हुए थे। हस्तान्तरित राशि, अग्रिम के रूप में नहीं दर्शायी गयी और विस्थापन कार्यों पर अंतिम रूप से पुस्तांकित की गयी। यह भी ध्यान में आया कि ₹ 65.15 लाख⁸ 31 मार्च 2014 को पारिस्थितिकी विकास समितियों के बचत बैंक खातों में अप्रयुक्त पड़ी थी।

सरकार ने कहा कि आवास भूमि और आवास निर्माण की राशि का पारिस्थितिकी विकास समिति को हस्तान्तरण, लाभार्थियों द्वारा आवास निर्माण में धन का उपयोग सुनिश्चित करने और अन्य मद्दों में इसके उपयोग को रोकने हेतु किया गया। उत्तर विश्वसनीय नहीं था क्योंकि लाभार्थियों की निधि पारिस्थितिकी विकास समितियों के खातों में हस्तान्तरित किये जाने के आदेश ना तो राज्य सरकार ने जारी किये थे और ना ही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशानिर्देशों में प्रावधित किया गया था।

3.1.8 अनुश्रवण

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा फरवरी 2008 में जारी संशोधित दिशानिर्देशों के सम्बन्ध में विस्थापन प्रक्रिया, मुख्य सचिव और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित क्रमशः राज्य स्तरीय निगरानी समिति और जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा निगरानी/क्रियान्वित की जावेगी। यद्यपि, यह देखा गया कि ये समितियां फरवरी 2012 में, निर्देशों के जारी होने के चार वर्षों बाद गठित की गयी थीं। आगे, राज्य स्तरीय निगरानी समिति की प्रत्येक छः माह में कम से कम एक सभा और जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक सभा होनी थी।

यह पता चला कि तीन जिलों में 2008-09 से 2013-14 के दौरान जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की 72 सभायें आयोजित की जानी थीं। तथापि, केवल 48 सभायें (सवाई माधोपुर 34, करौली 2 और अलवर 12) आयोजित की गयी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 20 ग्राम, जिनकी विस्थापन योजना अनुमोदित की गयी थी, में से केवल छः ग्रामों का पूर्णतया विस्थापन किया गया, विस्थापन प्रक्रिया का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने हेतु प्रबल निगरानी, सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाना आवश्यक है जिससे योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके।

⁸ 14 लाभार्थियों का बकाया भुगतान ₹ 17.00 लाख, अर्जित ब्याज ₹ 8.69 लाख, कोरपस फण्ड ₹ 22.00 लाख और विविध राशि ₹ 17.46 लाख।

⁹ पारिस्थितिकी विकास समिति-भगानी ₹ 7.39 लाख, देवरी ₹ 21.52 लाख, काकवाड़ी ₹ 31.35 लाख, उमरी ₹ 4.89 लाख।

3.1.9 सारांश

केन्द्र प्रायोजित योजना ‘बाघ परियोजना’ के तहत् राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के सम्बन्ध में, बाघ आवास स्थलों में रहने वाले लोगों को विस्थापन पैकेज के तहत् रणथम्भौर और सरिस्का, दो बाघ रिजर्व समाविष्ट किये गये थे। पैकेज में वित्तीय सहायता के साथ-साथ बाघ रिजर्वस् से ग्रामों का विस्थापन और पुनर्वास सम्मिलित था। 20 ग्रामों की अनुमोदित विस्थापन योजना के विरुद्ध, केवल छः ग्रामों का पूर्णतया विस्थापन किया गया था और शेष 14 ग्राम विस्थापन की प्रक्रिया में थे। यद्यपि जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति ने निर्धारित किया था कि नकद पैकेज का चयन करने वाले परिवारों को प्रथम किश्त प्राप्त करने की तिथि से एक से दो महिनों के भीतर अपने परिसर खाली करने चाहिए लेकिन 115 परिवार, जिन्होंने भुगतान प्राप्त कर लिया था, अभी तक बाघ रिजर्व में निवास कर रहे थे। योजना के तहत् पात्रता के लिए परिवार के वयस्क पुत्र की पात्रता आयु के निर्धारण के लिए व्याख्या में मतभेद होने के कारण विस्थापन पर विपरीत प्रभाव पड़ा। यह भी देखा गया कि विस्थापित परिवारों को निर्धारित से कम कृषि भूमि उपलब्ध करायी गयी जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थी। सरिस्का रिजर्व में विस्थापन पैकेज हेतु पात्र परिवारों की पहचान के लिए आधार रेखा सर्वे तिथि की जगह सीमा रेखा तिथि स्वीकार करने का लिया गया निर्णय, राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनःस्थापन नीति के प्रावधानों के विपरीत था।

यह सिफारिश की जाती है कि विस्थापन प्रक्रिया में प्रगति लाने हेतु निगरानी और सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों पर अधिक बल देने की आवश्यकता है। पैकेज के लिए पात्रता हेतु परिवार की पहचान की तिथि तथा वयस्क पुत्र की पात्रता आयु के निर्धारण में एकरूपता अपनायी जानी चाहिए ताकि पात्र परिवारों/व्यक्तियों के बीच में असन्तोष पैदा न हो।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

3.2 विज्ञान एवं समाज प्रभाग द्वारा की गयी प्रमुख गतिविधियाँ

परिचय

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज्य की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं की मांग को पूरा करता है तथा राज्य में लोगों के कल्याण के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नीतियों एवं उपायों पर सरकार को सलाह देता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत विज्ञान एवं समाज प्रभाग में विभिन्न गतिविधियाँ/कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं एवं संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के माध्यम से राज्य के समग्र विकास के लिए प्रौद्योगिकी आधारित सहयोग किया जाता है।

विज्ञान एवं समाज प्रभाग द्वारा निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियाँ शुरू की गयीः

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सहयोग का उपयोग कर विभिन्न समस्याओं के लिए एक सार्थक समाधान प्रदान करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी पर पाइलेट/विशिष्ट परियोजनाएँ।
- जमीनी स्तर पर उपयोगी वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का प्रसार करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र।
- महिलाओं के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को लाभकारी रोजगार के लिए अवसर, काम करने की स्थिति व जीवन में सुधार के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को अपनाना।
- वास्तविक उपयोगकर्ता के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी खरीद एवं सॉफ्टवेयर का विकास।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी दिवस समारोह।
- प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, तकनीकी एवं अनुसंधान संस्थानों के साथ समन्वय कर जमीनी स्तर पर उपयुक्त कम प्रधान प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना।
- विभाग की सक्रिय भागीदारी से विज्ञान एवं समाज प्रभाग की गतिविधियों पर कार्यशाला/संगोष्ठी कर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्षेत्रीय समूहों को जागरूक करना।

विज्ञान एवं समाज प्रभाग की गतिविधियों हेतु तैयार वार्षिक योजना, बजट अनुमान एवं किये गये व्यय का विस्तृत विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

**तालिका 11: तैयार वार्षिक योजना, बजट अनुमान एवं किये गये व्यय का विवरण
(₹ लाख में)**

क्र. सं.	वर्ष	तैयार वार्षिक योजना	बजट अनुमान	व्यय	बचत(-)/आधिक्य(+)	बजट अनुमानों पर व्यय की प्रतिशतता	बजट अनुमानों पर बचत की प्रतिशतता
1	2009-10	49.35	58.75	58.07	(-)0.68	98.84	1.16
2	2010-11	191.11	82.19	8.73	(-)73.46	10.62	89.38
3	2011-12	163.85	163.85	163.33	(-)0.52	99.68	0.32
4	2012-13	108.15	608.50	928.59	(+)320.09	152.60	-
5	2013-14	112.60	112.60	56.84	(-)55.76	50.48	49.52
योग		625.06	1025.89	1215.56			

स्रोत: निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर

विज्ञान एवं समाज प्रभाग की योजनाओं/गतिविधियों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्र अध्ययन किया गया। निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में स्थित पांच क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखों की लेखापरीक्षा मार्च से जून 2014 में की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्ष राज्य सरकार को सितम्बर 2014 में जारी किये गये एवं उनके प्राप्त उत्तर (अक्टूबर 2014) प्रकरणों को अन्तिम रूप देते समय शामिल किये गये।

3.2.1 विज्ञान एवं समाज प्रभाग द्वारा निष्पादित विभिन्न गतिविधियों पर किया गया व्यय

वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक गतिविधिवार किये गये व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 12: गतिविधिवार व्यय का विवरण

क्र. सं.	गतिविधि का नाम	व्यय (₹ लाख में)
1	उपयुक्त प्रौद्योगिकी पर पाइलेट/विशिष्ट परियोजनाएं	1126.57
2	प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र	8.95
3	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र	4.00
4	महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	13.14
5	प्रौद्योगिकी की खरीद एवं सॉफ्टवेयर का विकास	0.50
6	विज्ञान एवं समाज प्रभाग से सम्बन्धित गतिविधियों पर कार्यशाला/संगोष्ठी	5.40
7	प्रौद्योगिकी दिवस का आयोजन	7.00
8	पंजीकृत समिति का कारपस फण्ड के रूप में सहयोग जैसे कि आधारभूत नवाचार सशक्तिकरण नेटवर्क (ज्ञान)	50.00
योग		1215.56

स्रोत: निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर

- यह पाया गया कि वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान विभाग ने एक प्रमुख गतिविधि यथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी पर पाइलेट/विशिष्ट परियोजनाएँ, जिसमें बायो-गैस संवर्धन संयंत्र एवं रिवर्स ऑस्समोसिस संयंत्रों की स्थापना सम्मिलित है, पर कुल ₹ 12.16 करोड़ में से ₹ 11.27 करोड़ का व्यय किया गया। शेष राशि, विभाग द्वारा की गयी अन्य सात गतिविधियों में विभाजित की गई।
- विभाग ने आगामी पांच वर्षों में की जाने वाली गतिविधियों की रूप-रेखा तैयार करते हुए पंचवर्षीय योजना बनायी, लेकिन योजना को चलाने हेतु कोई रोड़मेप या व्यापक रणनीति नहीं बनायी।

3.2.2 उपयुक्त प्रौद्योगिकी पर पाइलेट/विशिष्ट परियोजनाएँ

पैरा 3.2.1 में वर्णित पाइलेट/विशिष्ट परियोजनाओं के क्रियान्वयन, जिन पर ₹ 11.27 करोड़ व्यय किये गये, की चर्चा नीचे की गयी है:

(i) रिवर्स ऑस्समोसिस संयंत्रों की स्थापना

(अ) विलवणीकरण संयंत्र से निकले अनुपयुक्त पानी का परित्यक्त कुओं में निर्वहन

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने मार्च 2012 में उपयुक्त प्रौद्योगिकी पर पाइलेट/विशिष्ट परियोजना के अन्तर्गत चयनित जिलों¹⁰ के 10 गांवों में स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए खारा/क्षारीय पानी के उपचार के लिए समुदाय द्वारा प्रबन्धित रिवर्स ऑस्समोसिस संयंत्रों को स्थापित करने की स्वीकृति जारी की गयी। रिवर्स ऑस्समोसिस संयंत्र, पतली फिल्म समग्र डिल्ली की तकनीक जो केन्द्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गयी थी, पर आधारित थे। रिवर्स ऑस्समोसिस संयंत्रों का संचालन स्थानीय लाभार्थियों के एक समूह द्वारा प्रबन्धित किया जाना था। ₹ 1.60 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई जिसमें से प्रथम किस्त ₹ 1.44 करोड़ केन्द्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान को मार्च 2012 में एवं द्वितीय किश्त ₹ 9.50 लाख मार्च 2013 में जारी की गयी।

अभिलेखों एवं सात गांवों¹¹ में विभाग के अनुसंधान अधिकारी के साथ स्थलों के संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि विलवणीकरण संयंत्रों से निकले रसायन युक्त अनुपयुक्त पानी, चक राजियासर, पायली एवं दान्दू गांवों में परित्यक्त कुओं में छोड़ा जा रहा था, जिसका भू-जल पर हानिकारक प्रभाव हो सकता है।

सरकार ने कहा कि अनुपयुक्त पानी का निर्वहन जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अपनायी गई अनुपयुक्त पानी के प्रबन्धन की रणनीति के अनुसार परित्यक्त कुओं में डाला जा रहा था।

¹⁰ भरतपुर, नागौर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर एवं आदिवासी उपयोजना का एक जिला

¹¹ कृपाराम जी की ढाणी, चक राजियासर, पायली, कल्याणपुरा, खुड़ेराछोटा, दीपासर एवं दान्दू

यह मानते हुए कि अनुपयुक्त पानी परित्यक्त कुओं में छोड़ा जा रहा था, तथ्य यह है कि यह भू-जल को दूषित करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा, बिना फिल्टर किये, अनुपयुक्त पानी को सीधे ही परित्यक्त कुओं में डालने की प्रक्रिया जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की निर्दिष्ट डिजाइन, जिसमें अनुपयुक्त पानी 25 मि.मी. आर.सी.सी. रिंग एवं 20 मि.मी. क्रस्ट पत्थरों के मध्य से गुजारा जाना चाहिए, के अनुसार नहीं थी, यह अनुपयुक्त पानी में समाहित रसायन को कम करने के लिए एक फिल्टर के रूप में काम कर सकती थी।

(ब) कार्य निष्पादन में धीमी प्रगति

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने एकशन रिसर्च प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु, जिसमें लवण समस्या से प्रभावित आठ जिलों¹² में 50 रिवर्स ऑसमोसिस संयंत्रों की स्थापना की जानी थी, ₹ 9.41 करोड़ स्वीकृत किये (मार्च 2013)। परियोजना के तहत रिवर्स ऑसमोसिस संयंत्रों की स्थापना एवं कमीशनिंग के अलावा निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियां की जानी थी:

- फ्लोराइडयुक्त ठोस अवशिष्ट अवशेष प्रबन्धन एवं फ्लोराइड मुक्त अनुपयुक्त पानी
- पूर्व-उपचार प्रोटोकोल, जो दूषण से झिल्ली माड्यूल की सबसे अच्छी रक्षा करता है।
- राजस्थान के लिए उपयुक्त अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग की व्यवहार्यता जैसे कि ऊंट की शक्ति और सौर ऊर्जा।

इसके अलावा, तकनीशियनों को दो वर्ष के लिये इकाइयों की सतत निगरानी, समस्या निवारण एवं अनुपयुक्त पानी के डीफ्लोराइडेशन की निगरानी हेतु लगाया जाना था। स्वीकृति के अनुसार इन सभी गतिविधियों को केन्द्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान द्वारा किया जाना था तथा दो वर्ष की अवधि यानी मार्च 2015 तक पूर्ण किया जाना था। केन्द्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान को मार्च 2013 में ₹ 8.96 करोड़ एवं मार्च 2014 में ₹ 0.45 करोड़ का भुगतान किया गया।

यह देखा गया कि केन्द्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान ने लगभग एक वर्ष छः माह की अवधि अर्थात् जुलाई 2014 तक केवल 24 रिवर्स ऑसमोसिस संयंत्रों की आपूर्ति की, जिसमें से आठ संयंत्र स्थापित किये गये। स्वीकृति के अनुसार आठ जिलों में सभी रिवर्स ऑसमोसिस संयंत्रों को मय अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के दो साल में स्थापित करना था जिसके लिए तकनीशियनों को दो वर्ष हेतु नियुक्त करने की योजना थी। यह तभी संभव था जब रिवर्स ऑसमोसिस संयंत्रों की स्थापना कर दी जाती तथा अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां चलाने के लिये तकनीशियनों को किराये पर लिया गया होता। तथापि, दो जिलों में केवल आठ रिवर्स ऑसमोसिस संयंत्रों की स्थापना (झुन्झुनू

¹² भरतपुर, चूरू, जोधपुर, झुंझुनू, नागौर, पाली, सवाईमाधोपुर, सीकर

जिले में सात एवं सीकर जिले में एक) और यहां तक कि मंजूरी की तारीख से 18 महिने के बाद भी तकनिशियनों की नियुक्ति नहीं होना, निर्धारित समय रेखा के भीतर वांछित गतिविधियों के पूरा होने में देरी की महत्वपूर्ण जोखिम प्रस्तुत करता है।

सरकार ने संयंत्र स्थापना के संदर्भ में कार्य के निष्पादन की धीमी प्रगति को स्वीकार किया। यह रेखांकित करता है कि रिवर्स ऑसमोसिस संयंत्रों की स्थापना में देरी, अंततः लक्षित आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति में देरी करेगी। आगे, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां प्रारम्भ नहीं की गई थीं।

(ii) बायो-गैस संवर्धन संयंत्र की स्थापना

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने नवम्बर 2009 में श्री कृष्ण गौशाला, जालेडा, बारां में विकन्द्रीयकृत मोड पर केटिव ऊर्जा उत्पादन के लिये पशु गोबर/वैकल्पिक फीड सामग्री आधारित बायो-गैस संवर्धन संयंत्र की स्थापना हेतु ₹ 24.35 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की। संयंत्र की स्थापना, उपयुक्त प्रौद्योगिकी पर पाइलेट/विशिष्ट परियोजना के तहत् श्री महावीर गौ शाला कल्याण संस्थान, बारां (संस्थान) द्वारा की जानी थी एवं संस्थान से भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की त्रैमासिक रिपोर्ट प्राप्त करनी थी।

स्वीकृत राशि ₹ 24.35 लाख में से राशि ₹ दो लाख का परियोजना के परामर्श हेतु ग्रामीण विकास एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली को भुगतान किया गया, संस्थान को नवम्बर 2009 में सीधे ही ₹ 7.18 लाख का भुगतान किया गया एवं कार्य की प्रगति के अनुसार, संस्थान को भुगतान करने के लिये क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा को ₹ 15.17 लाख दिये गये, जिसमें से केवल ₹ 6.15 लाख संस्थान को भुगतान किया गया।

इसके अतिरिक्त, निधियों के बिना उपयोग के रहने से क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा ने सितम्बर 2011 में शेष बची राशि ₹ 8.97¹³ लाख को सरकारी खाते में जमा करा दिया। संस्थान को भुगतान की गयी राशि ₹ 6.15 लाख के बिना उपयोग के रहने से लेखापरीक्षा के कहने पर अप्रैल 2014 में सरकारी खाते में प्रेषण किया गया। संस्थान, बायो-गैस संयंत्र निर्माण पर केवल ₹ 7.18 लाख का ही उपयोग कर सका। ग्रामीण विकास एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली भी ₹ दो लाख का उपयोग नहीं कर सका, क्योंकि संस्थान द्वारा बायो-गैस संवर्धन संयंत्र की स्थापना नहीं की थी।

इस प्रकार, केटिव ऊर्जा उत्पादन परियोजना के लिये बायो-गैस संवर्धन संयंत्र की स्थापना के मूल उद्देश्य से वंचित रहना पड़ा क्योंकि बायो-गैस संयंत्र का निर्माण परियोजना का केवल एक हिस्सा था, जिस पर संस्थान ने ₹ 7.18 लाख का

¹³ ₹ 8.97 लाख (₹ 9.02 लाख- बैंक कमीशन ₹ 0.05 लाख)

उपयोग किया था। इसके अलावा, स्वीकृति में परिकल्पित तिमाही प्रगति रिपोर्ट, संस्थान से प्राप्त नहीं की गयी थी, जो विभाग की निगरानी में कमी को इंगित करता है।

सरकार ने स्वीकार किया (अक्टूबर 2014) कि संवर्धन प्रौद्योगिकी हस्तान्तरित नहीं की जा सकी। आगे, कहा गया कि स्थापित बायो-गैस संयंत्र, विभाग द्वारा आवश्यक बैक-अप और सहायता उपलब्ध कराने के बाद गोबर के साथ कचरे के उपचार के लिये नगरपालिका, बारां द्वारा उपयोग किया जा सकता है। तथापि, विभाग द्वारा अब तक कोई बैक-अप और सहायता प्रदान नहीं की गई। राज्य सरकार ने परामर्श शुल्क के संबंध में कहा कि ग्रामीण विकास एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली ने आश्वासन दिया है कि बायो-गैस संयंत्र के लिए परामर्श प्रदान कर पूर्व में अदा परामर्श शुल्क को समायोजन किया जा सकता है।

3.2.3 सारांश

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत विज्ञान एवं समाज प्रभाग विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों से संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के माध्यम से राज्य के समग्र विकास के लिये प्रौद्योगिकी आधारित सहायता प्रदान करता है। यद्यपि, गतिविधियों की रूपरेखा सहित पांच साल की योजना तैयार की गयी थी, लेकिन योजना के क्रियान्वयन हेतु कोई रोडमैप या रणनीति तैयार नहीं की गयी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने पाइलेट/विशिष्ट परियोजना के अन्तर्गत बायो-गैस संवर्धन संयंत्र एवं रिवर्स ऑस्समोसिस संयंत्र की स्थापना पर ₹ 11.27 करोड़ का व्यय किया था। परियोजना के क्रियान्वयन में कमी रही जैसे निष्पादन की धीमी गति एवं निधियों के उपयोग का अभाव। इसके अलावा, विलवणीकरण संयंत्रों से निकले रसायन युक्त अनुपयुक्त पानी को शोधन प्रक्रिया के माध्यम से निकालने के बजाय सीधे ही परित्यक्त कुओं में डाला जा रहा था जिससे भू-जल पर हानिकारक प्रभाव हो सकता है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

3.3 राज्य सड़क निधि का उपयोग

परिचय

राज्य सड़कों के विकास एवं ऐसी परियोजनाएँ, जो राज्य सड़कों के विकास के लिए विहित की जाये, को निधि संवितरित करने हेतु राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 के अंतर्गत सितम्बर 2004 में सड़क विकास निधि स्थापित की गयी। इस प्रयोजन के लिए पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री पर 50 पैसा प्रति लीटर की दर से “उपकर” उद्गृहीत किया गया। राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 के अनुसार राज्य सड़क को ऐसे परिभाषित किया गया था जिसमें राज्य के भीतर की समस्त सड़कें और इसके अंतर्गत समस्त भूमियां एवं उससे अनुलग्नक, समस्त पहुंच मार्ग, पुल, फ्लाई ओवर, पुलियाएँ, सुरंगें, काजवे, बाहन मार्ग, सभी बांडें, वृक्ष, चौकियां और सीमाएँ शामिल हैं।

2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान राज्य सड़क निधि से सार्वजनिक निर्माण विभाग के 98 खण्डों को निधियों का आवंटन किया गया था। इनमें से 25 खण्डों¹⁴ का सामान्य रेन्डम नमूना पद्धति को अपनाते हुए फील्ड अध्ययन हेतु चयन किया गया। 2009-10 से 2013-14 की अवधि की लेखापरीक्षा (अप्रैल से जून 2014) यह आवश्यकता होने के विचार के साथ कि निधियों का उपयोग राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 के नियमों एवं प्रावधानों के अनुरूप किया गया है, की गई। ध्यान में आये निष्कर्षों को राज्य सरकार को सितम्बर 2014 में जारी किया गया, जिनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2015)।

3.3.1 योजना

राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि (संशोधित) नियम, 2005 के नियम 7 में प्रावधान है कि राज्य सड़क विकास निधि के प्रबन्धन हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 की धारा 9 की उपधारा 2 के अन्तर्गत एक राज्य सड़क विकास निधि प्रबन्धन बोर्ड गठित किया जायेगा। बोर्ड को निधियों के प्रबन्धन हेतु कार्यान्वयन नीतियां और प्रक्रियाएँ बनानी थी और राज्य सरकार को उनकी सिफारिश करनी थी। यह भी प्रावधित किया गया था कि बोर्ड दीर्घकालीन और वार्षिक कार्यान्वयन योजनाएँ बनायेगा, परियोजनाओं के लिए विभिन्न विकल्पों की पहचान करेगा, वित्तीय योजनाओं की सिफारिश करेगा,

¹⁴ आबूरोड, अलवर-I, भरतपुर-II, बीकानेर डी डी आई, चौहटन, चौमहला, दौसा, धरियावाद, इटावा, हिंडोन, झन्झनू, मालपुरा, मेडतासिटी, नागौर, निम्बाहेड़ा, नोहर, पाली, परबतसर, फुलेरा, रत्नगढ़, सोंगोद, सरदार शाहर, शाहबाद, टोडारायसिंह, उदयपुर डीडी-II।

विभिन्न सङ्क उपयोगकर्ताओं से जानकारी लेकर केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगा और निधि के विनियोग की नीतियां बनायेगा।

बोर्ड का अकार्यशील रहना

हमने पाया कि राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2005 में 11 सदस्यों के साथ बोर्ड का गठन किया गया। इसमें पाँच गैर-सरकारी सदस्य मनोनीत किये गये थे। पाँच गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल दिसम्बर 2008 में समाप्त हो गया। राज्य सरकार द्वारा इसके बाद गैर-सरकारी सदस्यों का मनोनयन नहीं किया गया। इनकी अनुपस्थिति में, बोर्ड जनवरी 2009 से अकार्यशील रहा एवं कार्यों को राज्य सरकार के आयोजना एवं वित्त विभाग से अनुमोदित कराकर स्वीकृत किया गया। बोर्ड की सिफारिश बिना कार्यों को स्वीकृत करने की जो प्रक्रिया अपनाई गयी वह अधिनियम के विरुद्ध थी। परिणामस्वरूप, बोर्ड के अकार्यशील रहने से विशेष महत्वपूर्ण कार्यकलाप जैसे दीर्घकालीन और वार्षिक कार्यान्वयन योजनाएँ बनाना, परियोजनाओं के लिए विभिन्न विकल्पों की पहचान करना, वित्तीय योजनाओं की सिफारिश करना आदि नहीं किये जा सके।

3.3.2 वित्तीय प्रबन्धन

राजस्थान राज्य सङ्क विकास निधि अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत उदगृहीत उपकर की आगम प्रथमतः राज्य की संचित निधि में जमा की जायेगी और राज्य सरकार, यदि राज्य विधान मण्डल विधि द्वारा इस निमित किये गये विनियोग द्वारा ऐसे उपबन्ध करे तो ऐसे आगम को संग्रहण के व्यय¹⁵ की कटौती करने के पश्चात समय-समय पर निधि में जमा करायेगी। राज्य सङ्क विकास निधि में जो राशि जमा होगी उसकी राज्य सङ्कों के विकास एवं राज्य सङ्क विकास की ऐसी परियोजनाओं के सम्बन्ध में उपयोग ली जावेगी जो अधिनियम में वर्णित हो। बोर्ड, परियोजनाओं के लिए निधि के आवंटन हेतु राज्य सरकार को सिफारिश करेगा एवं कार्यान्वयन एजेन्सियों, परामर्शदाताओं या किन्ही अन्य व्यक्तियों को, जो कार्यान्वयन नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसरण में निधि के उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए नियुक्त हो, को निधि का संवितरण प्राधिकृत करेगा। बोर्ड, राज्य सरकार को राज्य सङ्क विकास परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता की अनुमति या अन्य पूँजीगत सहयोग के लिए भी सिफारिश करेगा।

¹⁵ संग्रहित उपकर का एक प्रतिशत

2009-10 से 2013-14 के दौरान राज्य सड़क विकास निधि से निधियों की प्राप्तियों एवं संवितरण का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 13: निधियों की प्राप्तियों एवं संवितरण का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	कुल प्राप्तियां, संग्रहण व्यय को छोड़कर	योग	वितरण				अनुपयोगी राशि
				रिडकोर ¹⁶	आर एस आर डी सी सी ¹⁷	सार्वजनिक निर्माण विभाग	कुल	
2009-10	23.43	234.32	257.75	46.54	50.00	103.98	200.52	57.23
2010-11	57.23	250.00	307.23	19.95	91.75	129.66	241.36	65.87
2011-12	65.87	283.65	349.52	100.00	124.00	65.61	289.61	59.91
2012-13	59.91	314.54	374.45	50.00	116.20	58.10	224.30	150.15
2013-14	150.15	300.46	450.61	41.68	75.00	145.27	261.95	188.66
योग	1382.97			258.17	456.95	502.62	1217.74	

स्रोत: सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर संकलित आंकड़े।

हमने पाया कि जनवरी 2009 से बोर्ड के कार्यरत न रहने के कारण, कार्यकारी संस्थाओं को निधियों का आवंटन, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा था। अनुपयोगी/अवरुद्ध निधि, निधि का विचलन एवं अन्य अनियमितताओं के मामले, जो ध्यान में आये, उनकी चर्चा नीचे की गई है:

बोर्ड की सिफारिश के बिना निधियां जारी करना

यह ध्यान में आया कि बोर्ड के कार्यरत न रहने के कारण उनकी सिफारिश के बिना सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान राशि ₹ 456.95 करोड़ राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड को मार्जिन मनी तथा ₹ 258.17 करोड़ राजस्थान सड़क आधारभूत विकास कम्पनी लिमिटेड को सॉफ्ट लोन के रूप में आवंटित कर दी। इस अवधि में, अवशेष निधि ₹ 502.62 करोड़, जो कि ऊपर सारणी में दर्शाई गई है, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उपयोग में लाई जा रही थी। राज्य सड़कों के व्यवस्थित निर्माण व निधि के उपयोग के लिये कार्ययोजना बनाये बिना खण्डों के द्वारा आवश्यकता के आंकलन के आधार पर निधियां जारी की गई।

राज्य सड़क निधि में निधियां कम जमा करना

यह पाया गया कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि में राशि ₹ 1430.05 करोड़ उपकर के रूप में संकलित की गई इसमें से राशि ₹ 14.32 करोड़ संकलन प्रभार के रूप में कटौती की। तथापि, केवल राशि ₹ 1382.97 करोड़ राज्य सड़क निधि में जमा कराई गई। इस प्रकार, वाणिज्यिक

¹⁶ राजस्थान सड़क आधारभूत विकास कम्पनी लिमिटेड

¹⁷ राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड

कर विभाग द्वारा राज्य सड़क निधि में राशि ₹ 32.76 करोड़ कम जमा कराई (परिशिष्ट-3.1)। इसके कारण, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये।

रोड ओवर ब्रिज निर्माण सम्बन्धी रेलवे से हिस्सा राशि प्राप्त न होना

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 389 में प्रावधान है कि रेल सड़क क्रोसिंग के मामले में वित्तीय देयता, रेलवे और राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के बीच पारस्परिक सहमति के आधार पर बांटी जायेगी। रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में रोड ओवर ब्रिज के निर्माण की 50 प्रतिशत हिस्सा राशि परियोजना के पूरा होने के बाद रेलवे द्वारा प्रतिपूर्ति की जायेगी।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान ने वर्ष 2005 से 2008 के दौरान 16 रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए ₹ 173.08 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड इन रोड ओवर ब्रिज के निर्माण कार्यों के लिए नोडल एजेन्सी थी। सितम्बर 2013 तक राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा ₹ 112.94 करोड़ व्यय करने के बाद 16 रोड ओवर ब्रिज में से नौ रोड ओवर ब्रिज पूर्ण कर लिये गये।

राज्य सड़क निधि और राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड के फरवरी 2014 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन की संवीक्षा में पता चला कि इन नौ रोड ओवर ब्रिज पर कुल व्यय ₹ 112.94 करोड़ किया गया। तथापि रेलवे ने केवल ₹ 13.19 करोड़ की प्रतिपूर्ति की तथा रेलवे द्वारा शेष राशि ₹ 43.27 करोड़ की प्रतिपूर्ति अभी तक नहीं की गयी (दिसम्बर 2014)। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने तथापि, रेलवे और राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड से प्रतिपूर्ति मुद्दे को सक्रियता से नहीं उठाया।

राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा पूर्ण हुए कार्यों की शेष राशि नहीं लौटाना

मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर द्वारा राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड को 2006 से 2012 के दौरान 21 रोड ओवर ब्रिज आवंटित किये गये, जिनमें से 16 रोड ओवर ब्रिज राज्य सड़क निधि से वित्त पोषित थे। हमारी जांच में प्रकट हुआ कि 16 रोड ओवर ब्रिज में से नौ रोड ओवर ब्रिज (2011 में दो, 2012 में चार और 2013 में तीन) राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा आवंटित राशि ₹ 117.94 करोड़ के विरुद्ध ₹ 112.94 करोड़ व्यय कर पूर्ण किये गये। राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा शेष राशि ₹ पाँच करोड़ कार्य पूर्ण होने के बाद भी नहीं लौटाई गयी।

3.3.3 परियोजना प्रबन्धन एवं परियोजना का अनुश्रवण

राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि (संशोधित) नियम, 2005 के नियम 8 के अनुसार, बोर्ड, परियोजना के लिए विविध विकल्पों की पहचान करेगा एवं परियोजनाओं के लिए क्रियान्वयन अनुसूचियों पर विचार करेगा। आगे, बोर्ड, परियोजनाओं के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सलाह एवं मार्गदर्शन देगा कि परियोजनाओं का क्रियान्वयन अनुसूचि और गुणवत्ता अनुबन्धों के अनुसार हो रहा है तथा क्रियान्वयन एजेन्सियों या किन्ही अन्य व्यक्तियों के साथ परियोजनाओं के विकास, निर्माण, मरम्मत, पुनर्वास, उन्नयन, सुधार, संचालन एवं रखरखाव सुनिश्चित करेगा।

बोर्ड के अकार्यशील रहने से, जो कार्य राजस्थान सड़क आधारभूत विकास कम्पनी लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा किये जा रहे थे उनका अनुश्रवण नहीं किया जा सका तथा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्रियान्वयन एजेन्सियों द्वारा निर्धारित समय में गुणवत्ता अनुबन्धों के साथ कार्य पूर्ण कर दिये थे।

लेखे संधारित न होना

राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 की धारा 8 के अनुसार, राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग, समुचित लेखे एवं अन्य सम्बन्धित दस्तावेज संधारित करेंगे एवं निधि से हिस्सा राशि आवंटन के सम्बन्ध में लाभ हानि लेखे एवं चिट्ठा सहित वार्षिक विवरणी लेखे तैयार करेंगे। यह जानकारी में आया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वार्षिक लेखों का संधारण नहीं किया जा रहा था। राज्य सड़क निधि के वार्षिक लेखों के संधारण के अभाव में गलती एवं अनियमितता की जोखिम से इनकार नहीं किया जा सकता।

3.3.4 सारांश

राज्य सड़कों के विकास एवं राज्य सड़क विकास की परियोजनाओं के लिए निधि के वितरण हेतु राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत सड़क विकास निधि का गठन सितम्बर 2004 में किया गया। राज्य सड़क विकास निधि प्रबन्धन मण्डल जनवरी 2009 से अभी तक कार्रवत नहीं था। राजस्थान सड़क आधारभूत विकास कम्पनी लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड को बिना बोर्ड की सिफारिश के निधियां जारी की गई। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा राशि ₹ 32.76 करोड़ राज्य सड़क निधि में कम जमा करायी गई। रेलवे द्वारा रोड ओवर ब्रिज निर्माण का हिस्सा पुनर्भरण नहीं किया गया एवं राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड ने पूर्ण कर दिये कार्यों की अवशेष राशि वापिस नहीं की।

इंदिरा गांधी नहर विभाग

3.4 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं में फव्वारा सिंचाई प्रणाली

परिचय

इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्देश्य रेगिस्तान को फैलने से रोकना एवं रेगिस्तानी बंजर भूमि को कृषि उत्पादक क्षेत्र में बदलना है। बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण के लिए, परियोजना को दो चरणों में विभाजित किया गया है। 204 किमी लम्बी फीडर एवं 189 किमी तक की मुख्य नहर व इसकी वितरण प्रणाली चरण-I में आती है। 189 किमी से अंत तक की इंदिरा गांधी मुख्य नहर, इसकी छः लिफ्ट योजनाओं की वितरण प्रणाली के साथ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के चरण-II में आती है।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सिंचाई के उद्देश्य के लिए अधिक पानी की खपत वाली बाढ़ सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जा रहा था। हाल ही में, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी की उपलब्धता घट-बढ़ रही थी। लिफ्ट योजनाओं के लिए जलांक¹⁸ दो क्यूसेक प्रति 1000 एकड़ था तथा इस जलांक से बाढ़ सिंचाई प्रणाली के द्वारा क्षेत्र को सिंचित करना मुश्किल था। पीने, विद्युत उत्पादन, उद्योगों एवं सुरक्षा उद्देश्यों जैसे अन्य उद्देश्यों में पानी की अधिक आवश्यकता के कारण, सिंचाई के लिये पानी की कुल उपलब्धता में कमी आ गई थी।

पानी के समुचित आवंटन एवं उपयोग की विधियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को समझते हुए राज्य सरकार ने फरवरी 2007 में निश्चित किया कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने एवं क्षेत्र के तेजी से विकास के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना बोर्ड को लिफ्ट सिंचाई योजनाओं में फव्वारा सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने के प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। किसानों की कृषि भूमि पर फव्वारों को लगाया जाना था।

राज्य सरकार ने, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के चरण-II की छः लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं में 31384 हैक्टर कृषि योग्य कमान क्षेत्र¹⁹ के प्रस्तावित क्वरेज हेतु ₹ 83.10 करोड़ की फव्वारा सिंचाई प्रणाली की विस्तृत पाइलट प्रोजेक्ट रिपार्ट सितम्बर 2007 में अनुमोदित की जिसमें डिगियो²⁰, फीडर चैनल्स, पंप घरों, पाईप लाईंनों का निर्माण, विद्युत कार्य एवं 24 फव्वारा सिंचाई प्रणालियां लगाई जानी थी।

¹⁸ जलांक वितरिका के शीर्ष से छोड़े जाने वाले पानी की डिजाइन की गई मात्रा है।

¹⁹ सिंचाई प्रणाली से सिंचित किया जा सकने वाला क्षेत्र

²⁰ जल भंडारण टैक

जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 14: कुल कृषि योग्य कमान क्षेत्र एवं प्रस्तावित कृषि योग्य कमान क्षेत्र का विवरण

क्र. सं.	प्रणाली	कुल कृषि योग्य कमान क्षेत्र (हैक्टर में)	लघु नहरों की संख्या	पाइलट परियोजना के लिए प्रस्तावित कृषि योग्य कमान क्षेत्र (हैक्टर में)
1	बांगड़सर लिफ्ट	10000	1	2105
2	गजनेर लिफ्ट	75000	2	4581
3	कोलायात लिफ्ट	117000	6	8747
4	फलोदी लिफ्ट	63000	3	3167
5	पोखरण लिफ्ट	32000	1	1596
6	साहवा लिफ्ट	240000	11	11188
कुल		537000	24	31384

हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना चरण-II की छ: लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन का क्षेत्र अध्ययन (अक्टूबर से नवम्बर 2013 एवं मई 2014) विभिन्न कार्यकारी खण्डों²¹ में किया। निष्कर्षों को सरकार को जून 2014 में जारी किया गया और उनके प्राप्त उत्तर (जुलाई एवं अगस्त 2014) को ध्यान में रखा गया।

ध्यान में आये निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गई है:

3.4.1 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं में फव्वारा सिंचाई प्रणाली का क्रियान्वयन

(अ) इंदिरा गांधी नहर परियोजना चरण-II की छ: लिफ्ट सिंचाई योजनाओं में डिगिग्यों, फीडर चैनल्स, सम्प वैल्स, पंप घरों के निर्माण, उच्च घनत्व वाली पोलिथीन पाईप लाईंगों के बिछाने, जोड़ने एवं जांचने तथा विद्युत पम्प सेटों को लगाने का कार्य विभिन्न संवेदकों को, कायदिश में दी गई निर्धारित समय सीमा में करने हेतु दिया गया। दो लिफ्ट सिंचाई योजनाओं यथा कोलायात एवं साहवा लिफ्ट योजनाओं में फव्वारा सिंचाई प्रणाली का कार्य पूर्ण कर दिया गया तथा उनसे सिंचाई का कार्य क्रमशः 2011-12 एवं 2010-11 में प्रारम्भ कर दिया गया एवं ऊपर सारणी में दिये गये चार अन्य कार्य पूर्णता की विभिन्न अवस्था में है। इन चार लिफ्ट योजनाओं के कायदिश देने, प्रारम्भ करने की तिथि, पूरा करने की निर्धारित तिथि, किया गया व्यय एवं कार्य अपूर्ण रहने के कारण सम्बन्धी विवरण

²¹ 24वां व 28वां खण्ड फलोदी, 14वां खण्ड बीकमपुर, 20वां खण्ड बीकानेर, कोलायात लिफ्ट खण्ड, बीकानेर व सर्वे और जांच खण्ड-I, रावतसर

नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 15: चार लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के कार्य की स्थिति

क्र. सं.	खण्ड का नाम	लिफ्ट योजना का नाम	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	दिये गये कार्य की राशि (₹ करोड़ में)	कार्य पूरा करने की निर्धारित तिथि	मार्च 2014 तक किया गया व्यय (₹ करोड़ में)	कार्य की स्थिति
1	अधिशासी अभियन्ता, 14वाँ खण्ड इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकमपुर	बांगडसर लिफ्ट योजना	29.2.2008 एवं 12.4.2008 के बीच	10.36	30.1.2009 एवं 11.3.2009 के बीच	6.87	मूल संवेदक ने फीडर चैनल, पम्प घर एवं डिगियों के कार्य को अधूरा छोड़ दिया। शेष कार्य को अन्य संवेदक को दिया गया जो जुलाई 2014 में पूर्ण हो गया। परन्तु विद्युत कार्य पूरा नहीं करने के कारण डिगियों में विद्युत कनेक्शन नहीं किया गया (दिसम्बर 2014)।
2	अधिशासी अभियन्ता, 20वाँ खण्ड इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर	गजनेर लिफ्ट योजना	9.3.2008 एवं 20.3.2008 के बीच	11.32	19.12.2008 एवं 11.3.2009 के बीच	12.70	डिगियों में विद्युत कनेक्शन नहीं किया गया तथा पाईपलाइनों को बिछाने एवं जोड़ने का कार्य अपूर्ण था (दिसम्बर 2014)।
3	अधिशासी अभियन्ता, 24वाँ खण्ड इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, फलौदी	फलौदी लिफ्ट योजना	14.1.2008 एवं 7.5.2008 के बीच	7.92	13.12.2008 एवं 6.4.2009 के बीच	9.73	डिगियों में विद्युत कनेक्शन नहीं किया गया (दिसम्बर 2014)।
4	अधिशासी अभियन्ता, 28वाँ खण्ड इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, फलौदी	पोखरण लिफ्ट योजना	21.2.2008 एवं 21.4.2008 के बीच	4.40	20.1.2009 एवं 20.3.2009 के बीच	5.37	मार्च 2014 तक 15% हैक्टर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में से 1559.91 हैक्टर में फल्वारा वितरण प्रणाली को विकसित किया जा चुका था। लेकिन फल्वारा प्रणाली को किसानों की कृषि भूमि पर स्थापित करने के बजाय चरागाह भूमि पर स्थापित किया गया। चरागाह भूमि को किसानों को आवंटित करने पर राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2011 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। साथ ही सरकारी भूमि का भी उपयोग किया गया जो कि किसानों को आवंटित नहीं की गई थी। डिगियों को भी विद्युत कनेक्शन से नहीं जोड़ा गया। (दिसम्बर 2014)।

सरकार ने तीन योजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने में देरी होना स्वीकार किया। गजनेर लिफ्ट योजना के सम्बन्ध में आगे बताया कि लिफ्ट कमान की ऊपर वाली रीचों के प्रभावशाली किसानों ने जल उपभोक्ता संगठन बनाने एवं विद्युत कनेक्शन लगाने में रुकावट पैदा की क्योंकि वे अन्य किसानों के हिस्सा का उपयोग कर रहे थे। सरकार ने फलौदी लिफ्ट योजना के सम्बन्ध में बताया कि डिगिग्यों में विद्युत कनेक्शन में देरी, किसानों की अनिच्छा की वजह से हुई क्योंकि वे प्रणाली के लाभों के बारे में जागरूक नहीं थे एवं बांगड़सर लिफ्ट योजना के सम्बन्ध में बताया कि शेष कार्य अन्य संवेदक को दिया जा चुका है जो अब पूर्ण हो चुका है (दिसम्बर 2014)।

पोखरण लिफ्ट योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने बताया कि योजना की स्वीकृति वर्ष 2007 में जारी की गई थी जबकि चरागाह भूमि के आवंटन पर राज्य सरकार ने वर्ष 2011 में रोक लगाई थी। इसमें आगे बताया गया कि किसानों को आवंटित किये जाने के बाद ही सरकारी भूमि का प्रयोग किया जायेगा।

(ब) पायलेट फव्वारा सिंचाई प्रणाली के परियोजना प्रतिवेदन के अनुच्छेद 2.2 के अनुसार, लक्षित सिंचाई सघनता²² 60 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित की गई थी। इस प्रकार, छ: योजनाओं के 31384 हैक्टर के कुल प्रस्तावित कृषि योग्य कमान क्षेत्र में से, रबी एवं खरीफ मौसम हेतु 60 प्रतिशत सिंचाई सघनता पर वार्षिक प्रत्याशित सिंचाई 18830 हैक्टर निर्धारित की गयी। फव्वारा सिंचाई प्रणाली का 30 प्रतिशत निर्माण कार्य 2007-08 तक तथा शेष 70 प्रतिशत कार्य 2008-09 तक करना भी प्रस्तावित किया गया था।

संवीक्षा में पाया गया कि ऊपर वर्णित कुल प्रस्तावित कृषि योग्य कमान क्षेत्र में से कुल आच्छादित क्षेत्र 27435 हैक्टर था एवं दो पूर्ण लिफ्ट योजनाओं यथा कोलायत एवं साहवा लिफ्ट योजनाओं के 16110 हैक्टर में सिंचाई सुविधाएँ प्रदान कर दी गई थी। इस प्रकार, मार्च 2014 तक चार लिफ्ट योजनाओं में ₹ 34.67 करोड़ का व्यय करने के बावजूद, 11325 हैक्टर आच्छादित कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएँ प्रदान करने का उद्देश्य, फव्वारा सिंचाई प्रणाली के कार्यों के अपूर्ण रहने के कारण, पूरा नहीं हो पाया। वर्ष 2010-11 से 2013-14 के

²² सिंचाई सघनता का अर्थ, कृषि योग्य कमान क्षेत्र के प्रतिशत से है जिसमें वार्षिक सिंचाई प्रस्तावित की जानी है।

दौरान चार योजनाओं में असिंचित कृषि भूमि का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 16: चार योजनाओं में असिंचित कृषि भूमि का विवरण

क्र. सं.	खण्ड का नाम	लिफ्ट नहर का नाम	प्रस्तावित कृषि योग्य कमान क्षेत्र (हैक्टर में)	आच्छादित कृषि योग्य कमान क्षेत्र (हैक्टर में)	लक्षित सिंचाई आच्छादित कृषि योग्य कमान क्षेत्र का 60 प्रतिशत (हैक्टर में)	उपलब्धि 2010-11 से 2013-14	कुल व्यय (₹ करोड़ में)
1	अधिशाषी अभियन्ता, 14वाँ खण्ड इन्द्रा गांधी नहर परियोजना, बीकमपुर	बांगड़सर लिफ्ट योजना	2105	2030	1218	-	6.87
2	अधिशाषी अभियन्ता, 20वाँ खण्ड इन्द्रा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर	गजनेर लिफ्ट योजना	4581	4592	2756	-	12.70
3	अधिशाषी अभियन्ता, 24वाँ खण्ड इन्द्रा गांधी नहर परियोजना, फलौदी	फलौदी लिफ्ट योजना	3167	3143	1886	-	9.73
4	अधिशाषी अभियन्ता, 28वाँ खण्ड इन्द्रा गांधी नहर परियोजना, फलौदी	पोखरण लिफ्ट योजना	1596	1560	936	-	5.37
कुल			11449	11325	6796	-	34.67

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया और बताया (जुलाई 2014) कि राज्य में फव्वारा सिंचाई प्रणाली की शुरूआत पूरी तरह से नई अवधारणा थी। यह भी बताया गया कि लिफ्ट योजनाओं में विलम्ब, क्षेत्रीय कठिनाइयों जैसे विद्युत विभाग द्वारा उपयोग में ली जाने वाली विद्युत लाइने बिछाने में देरी, राज्य सरकार द्वारा कार्य निष्पादन पर अस्थायी रूकावट, कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण संवेदक के विरुद्ध कार्यवाही करने के कारण देरी एवं किसानों द्वारा भागीदारी प्रबंधन की अवधारणा को समझने में लिया गया समय, के कारण हुई थी। तथापि, तथ्य यह है कि लक्षित सिंचाई का लक्ष्य किसी भी वर्ष में प्राप्त नहीं किया जा सका था।

3.4.2 जोखिम और लागत की वसूली का अभाव राशि ₹ 2.63 करोड़

अनुबंध समझौते की धारा 3(सी) के अनुसार, संवेदक को नोटिस देने के बाद, कार्य के अनिष्टादित भाग को पूर्ण करने हेतु अन्य संवेदक को दिया जायेगा। मूल संवेदक को भुगतान की जाने वाली राशि, यदि पूरा कार्य मूल संवेदक द्वारा ही किया जाता, से अधिक व्यय होने पर, अधिक व्यय की राशि की कटौती, मूल संवेदक से, उसको इस अनुबंध या अन्य खाते में देय राशि में से की जायेगी।

इंदिरा गांधी नहर बोर्ड ने फरवरी 2008 में बांगड़सर लिफ्ट नहर की पृथ्वीराज का बेड़ा माइनर में फीडर चैनल्स, पम्प घर एवं डिगियों के निर्माण कार्य की निविदा मैसर्स मनोहर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, बीकानेर (संवेदक) को राशि ₹ 2.57 करोड़ ('जी' अनुसूची से 15.97 प्रतिशत ऊपर) में स्वीकृत की थी। अधिशाषी अभियन्ता, बिरसलपुर शाखा, खण्ड-II, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बज्जू ने फरवरी 2008 में कार्यादेश जारी किया जिसके अनुसार कार्य प्रारंभ एवं समाप्ति की निर्धारित तिथि क्रमशः 29 फरवरी 2008 एवं 30 जनवरी 2009 थी।

संवेदक ने राशि ₹ 47.46 लाख का कार्य निष्पादित करने के बाद 11 अगस्त 2008 को कार्य बंद कर दिया। शेष कार्य को संवेदक द्वारा शुरू नहीं करने के कारण, मुख्य अभियन्ता इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर ने अनुबंध की धाराओं के अन्तर्गत 10 प्रतिशत की दर से क्षतिपूर्ति राशि की वसूली का आदेश 17 दिसम्बर 2009 को दिया तथा संवेदक की जोखिम एवं लागत पर शेष कार्य को कराने का आदेश दिया। राशि ₹ 1.81 करोड़ का शेष कार्य, मैसर्स रामनारायण रामेश्वर लाल (अन्य संवेदक) को राशि ₹ 4.73 करोड़ ('जी' अनुसूची से 161.75 प्रतिशत अधिक) में सितम्बर 2013 में दिया गया। कार्य मार्च 2014 तक प्रगति पर था। राशि ₹ 2.63 करोड़²³ का अतिरिक्त दायित्व मूल संवेदक से वसूल किया जाना था।

सरकार ने बताया (जुलाई 2014) कि संवेदक ने वसूली प्रक्रिया के खिलाफ स्थगन आदेश ले लिया है तथा इन्दिरा गांधी नहर विभाग, स्थगन आदेश को हटाने तथा मामले का निपटारा करने का प्रयास कर रहा है।

3.4.3 श्रम उपकर की कटौती का अभाव राशि ₹ 5.85 लाख

श्रम एवं रोजगार विभाग, राजस्थान सरकार ने वित्त विभाग की स्वीकृति के साथ, कार्य की कुल लागत का एक प्रतिशत श्रम उपकर लगाने का निर्देश जुलाई 2010 में जारी किया। इसके लिए प्रभावी तिथि 27 जुलाई 2009 निर्धारित की गई थी।

²³ ₹ 4.79 करोड़ (पुनः निविदा की लागत) - ₹ 2.10 करोड़ (मूल संवेदक द्वारा निष्पादित नहीं किये गये कार्य की लागत)

नीचे दिये गये विवरण के अनुसार, तीन खण्डों (अधिशाषी अभियन्ता, सर्वेक्षण एवं जांच लिफ्ट खण्ड-I, रावतसर, 14वाँ खण्ड, बीकमपुर, कोलायत लिफ्ट खण्ड बीकानेर) में एक प्रतिशत की दर से राशि ₹ 5.85 लाख का श्रम उपकर नहीं काटा गया था।

तालिका 17: नहीं काटे गये श्रम उपकर का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	संवेदक को किया गया भुगतान	नहीं काटे गये श्रम उपकर की राशि
1	अधिशाषी अभियन्ता, 14वाँ खण्ड, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकमपुर	85.29	0.85
2	अधिशाषी अभियन्ता, कोलायत लिफ्ट खण्ड इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर	374.20	3.74
3	अधिशाषी अभियन्ता, सर्वेक्षण एवं जांच लिफ्ट खण्ड-I इंदिरा गांधी नहर परियोजना, रावतसर	125.57	1.26
कुल		585.06	5.85

सरकार ने बताया कि वित्त विभाग के आदेश के अनुसार श्रम उपकर की कटौती जुलाई 2010 से की जानी थी तथा कार्य 2010 से पूर्व आवंटित किये गये थे अतः कोई कटौती नहीं की गई। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि श्रम उपकर की कटौती की प्रभावी तिथि 27 जुलाई 2009 थी तथा तदनुसार कटौती की जानी चाहिए थी।

3.4.4 सारांश

पानी के समुचित उपयोग करने की विधियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को समझते हुए राज्य सरकार ने निश्चित किया (फरवरी 2007) कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने एवं क्षेत्र के तेजी से विकास के लिए इन्दिरा गांधी नहर परियोजना बोर्ड को लिफ्ट सिंचाई योजनाओं में फव्वारा सिंचाई प्रणाली को अपनाने के प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। दो लिफ्ट सिंचाई योजनाओं में फव्वारा सिंचाई प्रणाली का कार्य पूर्ण हो चुका था परन्तु चार अन्य लिफ्ट योजनाओं में राशि ₹ 34.67 करोड़ का व्यय हो जाने के बावजूद कार्य अपूर्ण रहने से सिंचाई सुविधाएँ प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। मूल संवेदक, जिसने कार्य अपूर्ण छोड़ दिया था, से अतिरिक्त दायित्व की राशि ₹ 2.63 करोड़ की भी वसूली नहीं की गई।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

3.5 सड़क निर्माण पर निष्फल व्यय

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण के कार्य पर ₹ 2.91 करोड़ का निष्फल व्यय

जिला कलेक्टर, उत्तरपुर द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 'कीर की चौकी से सलूम्बर सड़क' के बीच किमी 60 से 82 तक कुल 22 किमी लम्बाई को सात भागों में बांटते हुए वाटर वाउण्ड मैकेडम स्तर तक चौड़ी करने हेतु ₹ 10.81 करोड़ की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृती जारी की गयी (जून 2010)। तदनुसार, अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सलूम्बर द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सभी भागों हेतु निविदा प्रकाशित की गयी (अगस्त 2010)। अक्टूबर 2010 से दिसम्बर 2010 के दौरान विभिन्न संवेदकों को कार्यों का आवंटन किया गया। सुरक्षा कार्यों यथा रिटेनिंग वाल, क्रास इंग्रेन स्थल पर सीमेंट पाइपिंग इत्यादि आइटमों के निष्पादन पर राशि ₹ 2.91 करोड़ का व्यय किया गया। उक्त संपूर्ण स्ट्रेच पर चूंकि कार्य निष्पादन राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा निष्पादित किया जा रहा था इसलिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों को रोक दिया गया (मार्च 2011)।

राज्य सरकार द्वारा इस सड़क को राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड के माध्यम से टोल आधारित परियोजना के रूप में विकसित करने का निश्चय किया गया (जुलाई 2010) और सड़क को राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड को हस्तान्तरित करने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देशित किया। राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा सड़क यातायात एवं उच्च मार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों के अनुसार परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया (अगस्त 2010)। तदनुसार, सड़क को वर्तमान 3 से 5.5 मीटर एकपथ से 7 मीटर द्विपथ केरीजवे सहित 10-12 मीटर से 20 मीटर तक चौड़ा किया गया। इस उद्देश्य हेतु, वर्तमान सभी ढांचों यथा, कल्वर्ट, पुलिया, रिटेनिंग वाल और मेसोनरी, सीमेंट कंक्रीट, स्टील कार्य के अन्य ढांचे तथा फ्लेक्सबिल पेवमेंट सहित महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत निर्मित ढांचों को शामिल करते हुए हटा दिये गये और ग्रेन्यूअल सबवेस, वैट मिक्स मेकेडम, डेंस बिटुमिन मेकेडम और बिटुमिनस कंक्रीट के मिश्रण से नई क्रस्ट तैयार की गयी। राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कार्य फरवरी 2011 में शुरू किया गया व जून 2012 में परियोजना पूर्ण की गयी।

इस प्रकार, सड़क को राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड के माध्यम से टोल परियोजना के रूप में विकसित करने के राज्य सरकार के निर्णय (जुलाई 2010) की जानकारी होते हुए भी, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्ट्रेच के सभी सात भागों के लिए निविदा आमंत्रित की गयी (अगस्त 2010) जिसके परिणामस्वरूप महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ₹ 2.91 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ क्योंकि सभी निष्पादित कार्य राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा तोड़ दिये गये थे।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जून 2014) कि विभाग ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रिटेनिंग वाल और कलवर्ट कार्यों का निष्पादन किया तथा कार्य जैसे पुलिया, मेसोनरी व सीमेंट कंक्रीट इत्यादि को शामिल करते हुए अन्य ढांचों का महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत निष्पादन नहीं किया गया। यह भी बताया गया कि विभाग द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों को माह मार्च 2011 में रोक दिया गया (राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा अप्रैल 2011 में इस सड़क पर कार्य प्रारंभ करने से पूर्व) और राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड ने विभाग द्वारा निष्पादित किसी कार्य को नहीं तोड़ा। उत्तर इस तथ्य को देखते हुए विश्वसनीय नहीं है कि राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड ने लागत समीक्षा में सड़क निर्माण वाली भूमि की क्लियरिंग व ग्रंबिंग और कल्वर्ट, पुलिया, रिटेनिंग वाल सहित मेसोनरी, सीमेंट कंक्रीट और स्टील कार्यों इत्यादि वर्तमान ढांचों को हटाने के आइटमों को शामिल किया और बिल्ट ओपरेट और ट्रांसफर मानदण्डों के अनुसार कार्यों के निष्पादन से पूर्व सभी विद्यमान कार्यों को हटा दिया गया। आगे, अधिशाषी अभियंता, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिला परिषद, उदयपुर द्वारा जिला कलेक्टर, उदयपुर को मई 2011 में प्रस्तुत विस्तृत प्रतिवेदन से भी इसकी पुष्टि हुई कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निष्पादित सभी कार्यों को राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा हटा दिया गया। जिला कलेक्टर, उदयपुर द्वारा भी संपूर्ण प्रकरण की विस्तृत जांच हेतु सुझाव दिया गया।

3.6 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कोषों का अनियमित उपयोग

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कोषों ₹ 6.73 करोड़ का अतिरिक्त कार्यों पर अनियमित उपयोग

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 11.5 में उल्लेखित है कि दरों की वार्षिक अनुसूची के आधार पर यह आशा की जाती है कि औसत निविदा लागत अनुमानित लागत के लगभग समान होगी। राज्य ग्रामीण सड़क

विकास एजेन्सी²⁴ द्वारा, राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी को सूचित करते हुए आधिक्य/बचत को जिले के अंतर्गत 'परियोजना कार्यान्वयन इकाई'²⁵ स्तर पर समायोजित किया जाएगा परन्तु किसी पैकेज विशेष में आधिक्य/बचत 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। अन्य सभी मामलों में राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी की अनुमति आवश्यक होगी। यदि मामले में कार्य और मात्राओं में तात्त्विक विचलन है तो राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।

आगे, राजस्थान लोक-निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 286(2) में उल्लेखित है कि जहां मूल प्रस्तावों में तात्त्विक विचलन होता है, चाहे उसकी लागत अन्य मदों पर की गई बचत से पूरी हो जाने की संभावना हो, तो इस प्रकार बढ़ी हुई लागत के अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। नियम 352 के अनुसार किसी निश्चित परियोजना के लिए स्वीकृत अनुमान पर कोई प्रत्याशित या वास्तविक बचतें, विशेष प्राधिकार के बिना, ऐसे अतिरिक्त कार्य को करने में नहीं लगानी चाहिए जो मूल परियोजना में नहीं बताया गया है।

भारत सरकार द्वारा जारी अनुमोदन के अनुसार, राज्य सरकार ने फरवरी 2004 से अक्टूबर 2009 के मध्य कोटा, बाडमेर और जोधपुर जिलों में 20 पैकेजों के तहत सड़कों के उन्नयन/निर्माण हेतु ₹ 52.01 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की। जयपुर, कोटा और जोधपुर जोन के मुख्य अभियंता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा कार्यों की निविदा स्वीकृति के बाद, संबंधित अधिशाषी अभियंताओं द्वारा मई 2004 व मार्च 2010 के मध्य कार्यदेश जारी किये गये। कार्य सितम्बर 2005 से फरवरी 2011 के मध्य ₹ 39.14 करोड़ व्यय करके पूर्ण किये गये (परिशिष्ट 3.2)।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, कोटा, बाडमेर और जोधपुर के अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2012 से मार्च 2014) में पाया गया कि सभी पैकेजों में 11.66 से 44.65 प्रतिशत के मध्य बचत हुई। हमने आगे पाया कि संबंधित अधिशाषी अभियंताओं द्वारा सड़क सुरक्षा, सुरक्षा दीवार के निर्माण और कंक्रीट कार्यों के लिए नये कार्य आदेश जारी किये गये (नवंबर 2010 से मई 2012) और अतिरिक्त नये कार्यों की लागत, राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी से संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किये बिना, जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक थी, उक्त बीस पैकेजों में शामिल की गयी। इन नये कार्यों के निष्पादन पर ₹ 6.73 करोड़ का व्यय किया गया।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (मार्च-जून 2014) कि अतिरिक्त कार्यों का निष्पादन, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम

²⁴ एजेन्सी, जो परियोजना क्रियान्वयन इकाई से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को संकलित कर सत्यापन के पश्चात राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी को भेजती है।

²⁵ राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिये जिम्मेदार इकाई, जो अधीक्षण अभियन्ता के अधीन कार्य करती है।

सड़क योजना कोषों की बचत का उसी पैकेज में उपयोग हेतु जारी परिपत्र (जून 2010) की अनुपालना में किया गया और अतिरिक्त कार्यों सहित कुल व्यय प्रशासनिक स्वीकृति के अंतर्गत था। राज्य सरकार का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इन अतिरिक्त कार्यों पर किया गया व्यय मूल कार्यों की परिधि में नहीं था तथा नयी बचत का उपयोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के विपरीत था जिसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी की संशोधित स्वीकृती प्राप्त की जानी चाहिए थी। मुख्य अभियन्ता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बचत से निष्पादित किए जा रहे कार्यों को रोकने के निर्देश जारी किये (अक्टूबर 2011) क्योंकि ये कार्य उपयोगी नहीं पाये गये।

इस प्रकार, बचत राशि ₹ 6.73 करोड़ का उपयोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रावधानों और लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के नियमों के विरुद्ध था।

वन विभाग

3.7 कोषों का उपयोग नहीं करना

मिटिगेटिव मेजर्स के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों की कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार नहीं करने के कारण ₹ 24.67 करोड़ के कोषों का अनुपयोगी रहना।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 पर कोटा शहर में बाईपास बनाने हेतु 111.637 हैक्टर वन भूमि (95.048 हैक्टर कोटा वन खण्ड व 16.589 हैक्टर नेशनल घड़ियाल सेंचुरी के अंतर्गत) हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की (जुलाई 2007)। सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त (V) व राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्टेन्डिंग कमेटी की सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को ₹ 25.72 करोड़ सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी को जमा कराये जाने थे। सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी द्वारा उक्त राशि अलग बैंक खाते में रखी जानी थी और राजस्थान वन विभाग को निम्नलिखित मिटिगेटिव मेजर्स को लागू करने के लिए जारी की जानी थी:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	आईटम का विवरण	आईटम की लागत
1	नदी के दोनों ओर एक मीटर फेन्सिंग के साथ 11.2 किमी लम्बाई में 2.5 मीटर ऊंचाई तक पत्थर की दीवार का निर्माण कार्य	3.36
2	68 किमी दीवार और 2000 हैक्टर में पौधारोपण	21.16
3	अतिक्रमण को रोकने के लिए 10 किमी में स्थायी फेन्सिंग का निर्माण	1.20

बन भूमि पर अतिक्रमण को रोकने, बाईपास सड़क पर एक किमी तक हरित पट्टी का विकास सुनिश्चित करने व मानव बस्ती और बन्य जीवों के बीच रोक लगाने हेतु बाईपास निर्माण के साथ-साथ उक्त मिटिगेटिव कार्यों का निष्पादन किया जाना था। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जुलाई 2007 और दिसम्बर 2007 के मध्य उक्त राशि जमा करायी गयी। स्टेंडिंग कमेटी द्वारा यह भी सिफारिश की गयी कि मिटिगेटिव कार्यों के निष्पादन हेतु, पर्यावरण एवं बन मंत्रालय के प्रतिनिधि, प्रधान मुख्य बन संरक्षक और मुख्य बन्य जीव प्रतिपालक, राज्य सरकार को सम्मिलित करते हुए एक निगरानी समिति का गठन किया जायेगा जो कार्य के विशिष्ट आईटमों को निर्धारित करने और उनके निष्पादन की निगरानी करेगी।

हमारी जांच में पाया गया (अगस्त 2013) कि बन संरक्षक, पूर्व, कोटा द्वारा मई 2008 में सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी के पास इस उद्देश्य हेतु उपलब्ध कोषों का उपयोग करने के लिए उक्त मिटिगेटिव कार्यों को अमल में लाने हेतु सात दिवस में कार्ययोजना बनाने हेतु उप बन संरक्षक, बन्य जीव, कोटा को निर्देश दिये। यह पाया गया कि सम्बन्धित खण्डों द्वारा केवल वर्ष 2007-08 और 2009-10 हेतु क्रमशः ₹ 0.66 करोड़ व ₹ 9.51 करोड़ की कार्ययोजना तैयार की गयी जो कि निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित की गयी (मार्च 2008 और मई 2009)। वर्ष 2008-09 और 2010-11 से 2013-14 के लिए कोई कार्ययोजना तैयार नहीं की गयी। सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी द्वारा 2007-08 और 2009-10 की कार्ययोजना के लिए क्रमशः राशि ₹ 0.66 करोड़ और ₹ 4.25 करोड़ जारी की गई (मई 2008 और नवंबर 2012)। बन विभाग ने मार्च 2014 तक स्टोन मेसोनरी दीवार (470 मीटर) और स्थायी फेन्सिंग (4.49 किमी लम्बाई) के निर्माण पर ₹ 1.05 करोड़ उपयोग किये। शेष राशि ₹ 3.86 करोड़ अभी भी विभाग के पास अनुपयोगी पड़ी हुयी थी (मार्च 2014)। सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी द्वारा आगे कोई राशि जारी नहीं की क्योंकि विभाग, पूर्व में जारी राशि का उपयोग नहीं कर सका।

आगे, हमारी जांच में पाया गया कि मिटिगेटिव कार्यों की प्रगति की निगरानी करने के लिए 2007-08 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान निगरानी समिति की केवल तीन बैठकें आयोजित की गयी और किसी भी बैठक में वार्षिक योजनाओं या मिटिगेटिव कार्यों में असाधारण देरी पर कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया। कार्यों के निष्पादन हेतु कोई दिशा-निर्देश जारी करना नहीं पाया गया जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 76 के लिए कोटा बाईपास शुरू हो चुका था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2014) कि 2009-10 और 2011-12 के लिए तैयार योजना के अनुसार राशि जारी नहीं करने के कारण, मिटिगेटिव कार्यों का निष्पादन नहीं किया जा सका। आगे, नवम्बर 2012 में जारी राशि ₹ 4.25 करोड़ का उपयोग, निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिये जाने, नाबार्ड द्वारा स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने में स्टॉफ के व्यस्त होने और अक्टूबर 2013 में विधानसभा चुनावों के कारण नहीं किया जा सका। यह भी बताया गया कि राज्यस्तरीय निगरानी

समिति द्वारा वर्ष 2014-15 के लिये 26 मई 2014 को राशि ₹ 10.50 करोड़ की स्वीकृति जारी की गयी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग ने आवश्यक मिटिगेटिव कार्यों को पूर्ण करने हेतु प्रत्येक वर्ष कोई वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की। शुरू किये गये कार्य दिसम्बर 2014 तक भी पूर्ण नहीं किये गये। जिसके परिणामस्वरूप जारी राशि ₹ 4.91 करोड़ में से मात्र ₹ 1.05 करोड़ ही मार्च 2014 तक व्यय किये गये। निगरानी समिति ने भी कार्य की धीमी प्रगति की कोई निगरानी नहीं की। इस प्रकार, सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने राशि ₹ 20.81 करोड़ जारी नहीं की और भूमि के एक बहुत छोटे भाग पर ही मिटिगेटिव कार्य निष्पादित किये गये। इससे मानव बस्ती व वन्यजीवों के बीच रोक लगाने हेतु समानान्तर मिटिगेटिव कार्य किये जाने का मुख्य उद्देश्य पूर्ण नहीं किया जा सका।

(एस.आलोक)

महालेखाकार

जयपुर
दिनांक

(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ अनुच्छेद 3.3.2; पृष्ठ 57)

प्राप्त नहीं हुए संग्रहित उपकर का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संग्रहित उपकर	संग्रहण के लिए प्रभार की कटौती	राज्य सड़क निधि में जमा की गई राशि
2009-10	236.69	2.37	234.32
2010-11	254.00	2.55	251.45
2011-12	285.04	2.84	282.20
2012-13	317.72	3.18	314.54
2013-14	336.60	3.38	300.46
योग	1,430.05	14.32	1,382.97

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ अनुच्छेद 3.6; पृष्ठ 68)

मूल कार्य की बचत को अन्य कार्यों में व्यय करने को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ लाख में)

क्र. सं.	पैकेज का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति	मूल कार्य का विवरण					अतिरिक्त कार्य का विवरण	
			कार्यादेश संख्या, दिनांक एवं राशि	किया गया व्यय	कार्य पूर्ण हुआ	बचत	बचत की प्रतिशतता	कार्यादेश संख्या, दिनांक एवं राशि	किया गया व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कोटा									
1	आर.जे.-23-41	125.68 अप्रैल 2006	3593- 07.09.2006 132.13	96.58	अप्रैल 2009	29.10	23.15	2677- 15.11.2010 29.05	22.73
2	आर.जे.-23-53	166.60 अप्रैल 2006	3448- 30.08.2006 183.87	92.21	जून 2007	74.39	44.65	3034- 22.12.2010 25.87	20.33
3	आर.जे.-23-09	200.89 फरवरी 2004	2665- 14.06.2004 200.36	176.15	अक्टूबर 2005	24.74	12.31	749- 09.11.2010 34.08	24.73
4	आर.जे.-23-14	169.77 फरवरी 2004	2343- 26.05.2004 150.42	141.54	सितम्बर 2005	28.23	16.62	748- 9.11.2010 36.46	27.65
5	आर.जे.-23-16	114.63 फरवरी 2004	3638-20.08.2007 113.86	94.18	अप्रैल 2006	20.45	17.84	2670- 9.11.2010 27.46	26.08
6	आर.जे.-23-43	111.38 अप्रैल 2006	3574- 5.09.2006, 127.22	98.17	अक्टूबर 2008	13.21	11.66	2796- 23.11.2010 16.21	9.97
7	आर.जे.-23- बीएनयूजी -21	386.69 अक्टूबर 2009	1388- 29.03.2010 347.50	301.72	फरवरी 2011	84.97	21.97	2551- 13.10.2011 60.87	45.25
8	आर.जे.-23- बीएनयूजी -15	842.18 फरवरी 2009	574-10.07.2009 698.71	603.89	जून 2010	238.29	28.26	1604-15.05.2012 241.16	218.12
योग		2117.82		1604.44		513.38			394.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बाडमेर									
9	आर.जे.-05- बीएनयूजी-24	278.57 फरवरी 2009	243- 10.06.2009 229.57	216.88	मार्च 2010	61.69	22.14	2894- 07.12.2010 47.63	38.77
10	आर.जे.-05- बीएनयूजी -26	429.17 फरवरी 2009	305-314- 25.05.2009, 346.30	326.49	अप्रैल 2010	102.68	23.92	2198-2204- 30.11.2010 51.55	50.98
11	आर.जे.-05- बीएनयूजी -28	204.99 फरवरी 2009	235-242, 10.06.2009 164.07	148.48	मार्च 2010	56.51	27.80	2901-2908- 07.12.2010 43.42	40.80
12	आर.जे.-05- बीएनयूजी -29	251.50 फरवरी 2009	514- 06.07.2009 194.94	200.30	मार्च 2010	51.20	20.36	1461-67- 26.11.2010 26.14	26.14
13	आर.जे.-05- बीएनयूजी -31	185.78 फरवरी 2009	377- 04.06.2009 149.88	139.29	अक्टूबर 2009	46.49	25.02	1537-43- 6.12.2010 29.88	29.81
Total		1350.01		1031.44		318.57			186.50
जोधपुर									
14	आर.जे.-21- बीएनयूजी -08	182.77 फरवरी 2008	369-8.5.2008 152.06	146.92	--	35.85	19.61	5093- 21.2.2011 2.58	2.18
15	आर.जे.-21- बीएनयूजी -09	181.41 फरवरी 2008	410-13.5.2008 149.36	140.52	--	40.89	22.54	5101-21.2.2011 4.48	3.52
16	आर.जे.-21- बीएनयूजी -01	229.56 फरवरी 2008	147-155- 5.5.2008 212.84	173.02	--	56.54	24.63	201-205- 28.2.2011 15.10	11.92
17	आर.जे.-21- बीएनयूजी -10	316.55 फरवरी 2008	134-142- 5.5.2008 289.03	257.33	--	59.22	18.71	176-180- 28.2.2011 6.57	4.64
18	आर.जे.-21- बीएनयूजी -11	334.16 फरवरी 2009	180-28.5.2009 215.80	209.24	फरवरी 2010	124.92	37.38	196-200- 28.2.2011 53.52	51.23
19	आर.जे.-21- बीएनयूजी -12	234.55 फरवरी 2009	188-28.5.2009 166.64	167.06	फरवरी 2010	67.49	28.77	147149- 2.2.2010 35.27	13.55
20	आर.जे.-21- बीएनयूजी -27	254.65 फरवरी 2009	196-28.5.2009 192.01	183.8	फरवरी 2010	70.85	27.82	181-185- 28.2.2011 5.64	4.19
योग		1733.65		1277.89		455.76			91.23
कुल योग		5201.48		3913.77		1287.91			672.59